बजट भाषण

2015–16

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, विश्व की अर्थव्यवस्था विगत तीन वर्षों की भांति वर्ष 2014 में भी निराशाजनक ही रही। वर्ष 2013 के 2.5 प्रतिशत की तुलना में वैश्विक आर्थिक विकास की दर वर्ष 2014 में मात्र 2.6 प्रतिशत ही रही। धीमे विकास और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण विश्व का आर्थिक परिदृश्य अपेक्षाकृत निराशाजनक बना रहा। यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2014 के मध्य से तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण विश्व की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होंगे तथा विकासशील देशों के विकास की दर पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2015 में वैश्विक विकास दर बढ़कर 3.4 प्रतिशत एवं वर्ष 2016 में 3.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। जहां तक गरीबी उपशमन का प्रश्न है सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) के अन्तर्गत वर्ष 2010 तक विश्व की नितान्त गरीबी (Absolute Poverty) आधी हुई है। उसके बाद से विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2030 तक गरीबी को 3 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए विकासोन्मुख नीतियों एवं संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

पिछले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विकास धीमा दिखा जो अंशतः प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के कारण था जिसे आंतरिक अवरोधों ने बल प्रदान किया। औद्योगिक विकास दर सहित सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे रही। देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर पिछले दो वर्षों में 5 प्रतिशत से भी नीचे चली गई जबकि औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 1 प्रतिशत से भी कम थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के अनुसार भारत में अगले दो वर्षों 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 6.3 और 6.5 प्रतिशत की दर से विकास की सम्भावना है। केन्द्र सरकार के बजट में वर्ष 2014–15 के लिए विकास दर 7.4 प्रतिशत का अनुमान है और उसके वर्ष 2015–16 में 8 से 8.50 प्रतिशत हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है।

बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हुआ है। वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का विकास 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ था। परन्तु उसके बाद मध्यवर्ती विकास दर निरन्तर 10 प्रतिशत से ऊपर रही। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया सशक्त ही नहीं बल्कि सुस्थिर भी रही है। इस अवधि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में प्रचुर वृद्वि हुई। वार्षिक योजना का औसत आकार दसवीं योजना अवधि (2002–07) के मात्र 4,200 करोड़ रु. से बढ़कर ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) में 16,700 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया। बढ़े सार्वजनिक निवेश के अलावा विकास के पैटर्न में भी भारी परिवर्तन हुआ जिसमें अधोसंरचनात्मक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सेवाप्रदान व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है। वर्ष 2013–14 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004–05 के स्थिर मूल्य पर 1.75 लाख करोड़ रु. रहा जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय 17,294 रु. हुई। वर्तमान मूल्य पर 2013–14 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.43 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति आय 33,954 रु. ठहरती है।

2005–06 से 2009–10 के बीच अर्थव्यवस्था 10.2 प्रतिशत की दर से और 2010–11 से 2013–14 के बीच 10.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। बाद की अवधि में हासिल विकास दरें पहले हासिल विकास दरों से ही अधिक नहीं थीं, परन्तु देश के अन्य राज्यों की तुलना में भी लगभग सर्वाधिक थीं। 2004–05 से 2009–10 की अवधि में 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र थे – निबंधित विनिर्माण (45.4 प्रतिशत), निर्माण (19.8 प्रतिशत) और संचार (24.7 प्रतिशत)। उसके बाद की 2010–11 से 2013–14 की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक विकास दर वाले क्षेत्र थे – बैंकिंग एवं बीमा (19.2 प्रतिशत), व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (17.3 प्रतिशत), संचार (16.4 प्रतिशत) तथा अन्य परिवहन (14.3 प्रतिशत)।

हालांकि बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास दर में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है, लेकिन वार्षिक विकास दरों में काफी उतार–चढ़ाव दिखता है। समग्र अर्थव्यवस्था में विकास दरें 2007–08 के 5.55 प्रतिशत से लेकर 2010–11 के 15.03 प्रतिशत तक रही हैं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र, जिसकी विकास दर 2006–07 में 30.57 प्रतिशत थी जो 2009–10 में कम होकर 15.38 प्रतिशत दर से विकसित हुई थी। वर्ष 2010–11 में भी इस क्षेत्र की विकास दर काफी अधिक (19.91 प्रतिशत) थी। कृषि की विकास दर में इस भारी उतार–चढ़ाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत

मानसून है। दूसरी ओर, कृषि उत्पादन के इस उतार–चढ़ाव से अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की विकास दरों में भी उतार–चढ़ाव आता है। इसका कारण है कि अभी भी बिहार के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 20 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। इसीलिए समग्र अर्थव्यवस्था के विकास को स्थिरता प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास की दर को स्थिर रखना जरूरी है।

अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे नीचे बनी हुई है। लेकिन सशक्त विकास प्रक्रिया के प्रभाव का सही आकलन तब होता है जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत के औसत के बीच के अंतर पर विचार किया जाय। निवल घरेलू सकल उत्पाद वर्ष 2004–05 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2009–10 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (10,635 रु.) संपूर्ण भारत के औसत (33,901 रु.) का 31.0 प्रतिशत थी। लेकिन यह अनुपात 2013–14 में बढ़कर 39.2 प्रतिशत हो गया है(बिहार की 15,650 रु. तथा संपूर्ण भारत की 39,904 रु.)। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच मौजूद अंतराल को कम करते–करते अगर अंततः समाप्त कर देना है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का आवेग आने वाले अनेक वर्षों तक बनाए रखना होगा।

अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों और विभागों से संबंधित माँगों को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा।

कृषि विभाग

राज्य सरकार ने वर्ष 2012–17 के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया है जिसका 6 सूत्री ध्येय है– 1. खाद्य सुरक्षा, 2. पोषण सुरक्षा, 3. किसानों की आय में वृद्धि, 4. रोजगार सृजन एवं श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, 5. कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा 6. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनका टिकाऊ उपयोग। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कृषि रोड मैप में निर्धारित योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

वितीय वर्ष 2015–16 में कृषि विभाग के कार्यक्रम :–

कृषि रोड मैप कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा।कृषि शिक्षा एवं शोध की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किशनगंज में एक नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान फसलों की उत्पादकता में बढोतरी के लिए श्री विधि से धान तथा गेहूँ की खेती के लिए किसानो को प्रोत्साहित किया जायेगा।

वर्ष 2015–16 में मक्का, दलहन तथा तेलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग हेतु प्रोत्साहन के रूप में किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक के उत्पादन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। हरी खाद की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2015–16 में 1.10 लाख पक्का वर्मी कम्पोस्ट तथा 70,000 एच0डी0पी0ई0 तथा 250 व्यवसायिक इकाईयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 में 348,000 क्वीं0 अधिक उपजशील धान प्रभेद तथा 792,000 क्वीं0 अधिक उपजशील गेहूँ प्रभेद के बीज पर अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2015–16 में आधुनिक कृषि यंत्र को अपनाने एवं इसके लिए किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायतार्थ यांत्रिकीकरण नीति के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

जलछाजन विकास हेतु दक्षिण बिहार के उप–पठारी जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिट्टी तथा जल संरक्षण के लिए चेक–डैम आदि का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दक्षिणी बिहार के 17 जिलों को सम्मिलित करते हुए 10,025 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत संबंधित जिलों में योजना के माध्यम से लगभग 25,000 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का सृजन होगा एवं भूमि जल स्तर में भी वृद्धि होगी।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवसृजित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर के मुख्यालय तथा नवसृजित सहरसा, पूर्णिया, डुमरॉव तथा किशनगंज कृषि महाविद्यालयों एवं उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा की आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी।

कृषि विभाग को वर्ष 2015–16 में 2833.23 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2311.35 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 521.88 करोड़ रूपये शामिल है।

पथ निर्माण विभाग

कुल 2232 कि.मी. राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से, 2830 कि.मी. राज्य उच्च पथों का ए.डी.बी. सम्पोषित योजनान्तर्गत एवं 11,623 कि.मी. वृहद जिला पथों के उन्नयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2014–15 (नवम्बर माह) तक 5016.00 करोड़ रू0 की लागत पर कुल 1294 वृहद्/लघु पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत अबतक 2584.00 करोड़ रू0 की लागत पर कुल 4,355 योजनाएँ पूर्ण की गयी है।

बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति–2013 के अन्तर्गत 9,064 कि0 मी0 वृहद् जिला पथ एवं राज्य उच्च पथ में आगामी पाँच वर्षों के लिए रू0 2579.00 करोड़ रू0 की लागत पर पथ संधारण कार्य किया जा रहा है।

कुल 1584.25 करोड़ रूपये की लागत पर 34 अदद् स्वीकृत आर॰ओ॰बी॰ के अन्तर्गत 18 आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कार्य पूर्ण तथा शेष 16 अदद् आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसमें मुख्य परियोजनाएँ निम्नांकित हैं:–

महत्त्वपूर्ण पुल परियोजनाएँ यथा – भागलपुर जिला के सुलतानगंज एवं खगड़िया जिला के अगवानी घाट के बीच गंगा नदी पर (1710.77 करोड़),औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर एवं रोहतास जिलान्तर्गत नासरीगंज के बीच सोन नदी पर (619.28 करोड़), गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के बंगरा घाट पर (508.97 करोड़), खगड़िया जिलान्तर्गत बागमती नदी के सोनमनखी घाट पर (46.28 करोड़), दरभंगा जिलान्तर्गत मधेपुर ठेंगहा घाट पथ में कमला नदी के पश्चिमी धार पर (34.38 करोड़), पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया–केसरिया–सत्तरघाट पथ के कि0मी0 27वें में गंडक नदी पर 9.5 कि0मी0 लम्बाई के पहुँच पथ सहित 1440 मीटर लम्बा पुल निर्माण (263.48 करोड़), सहरसा जिलान्तर्गत कोसी नदी पर बलुआहा घाट एवं गंडौल के बीच निर्मित पुल के पश्चिमी पहुँच पथ का गंडौल (सहरसा) से बिरौल के पास हाथी कोठी (दरभंगा) तक पुल सह पथ निर्माण (332.00 करोड़),सहरसा जिलान्तर्गत तेलवा ग्राम में पुराने आर0सी0सी0 पुल के कोसी पश्चिमी तटबंध से जोड़ने हेत पुल का निर्माण (51.25 करोड़),पटना शहर स्थित मीठापुर आर0ओ0बी0 से स्टेशन होते हुए चिरैयाटाँड़ उपरि पुल तथा एक्जिबिशन रोड आर्म का गाँधी मैदान तक विस्तारीकरण कार्य (167.85 करोड़)।

इसके अतिरिक्त महत्त्वाकांक्षी परियोजना गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) (रू0 3160.00 करोड़) तथा पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर (रू0 1289.00 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति में है।

भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर बिहार राज्य अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–28बी॰ के गोबरहिया ग्राम (मदनपुर के निकट) से प्रारम्भ होकर पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज जिला के पश्चिम बंगाल राज्य सीमा पर गलगलिया तक 2552.86 करोड़ रूपये की लागत पर स्वीकृत कुल 552.29 कि॰मी॰ पथांश लम्बाई में कार्य प्रगति में है।

जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर (समस्तीपुर) (रू0 1602.74 करोड़) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण, आरा–मोहनियाँ पथ (एन॰एच॰–30) (रू0 1077.00 करोड़) में 4–लेनिंग का कार्य, रजौली–नवादा–बिहारशरीफ–बख्तियारपुर पथ (एन॰एच॰–31) (रू0 1211.84 करोड़) में 4–लेनिंग का कार्य प्रगति में है।

JICA सम्पोषित योजनान्तर्गत गया–हिसुआ–राजगीर–नालन्दा–बिहारशरीफ खण्ड (एन॰एच॰–82) का कार्य – निविदा प्रक्रिया में है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ए0डी0बी0 सम्पोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित 6–लेन गंगा ब्रीज (कच्ची दरगाह–बिदुपुर) का परियोजना तथा नव अधिग्रहित 1009.45 कि0मी0 पथों के उन्नयन हेतु 2105.12 करोड़ एवं 125 अद्द पुल–पुलियों के निर्माण हेतु 533.53 करोड़ रूपये का कार्य योजना प्रस्तावित है।

पथ निर्माण विभाग को वर्ष 2015–16 में 5795.06 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4856.22 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 938.84 करोड़ रूपये शामिल है।

ग्रामीण कार्य विभाग

(i) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमः–

मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत राज्य के Non-IAP जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को आगामी 5 वर्षो में बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत लगभग 37908 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण 5 वर्षो में किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के Non-IAP जिलों में 500 से उपर एवं IAP जिलों में 250 से उपर की आबादी वाले अनजुड़े गाँवों और बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रुप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। वर्ष 2014–15 में राज्य में विभाग एवं केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा लगभग 1457.64 करोड़ रूपये खर्च कर 2223.03 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4500 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल बजटीय उपबंध 850 करोड़ रूपये अन्तर्गत 304 पथों जिसकी कुल लम्बाई 1401 कि0मी0 है, के लिए एकीकृत रूप से पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नियमित अनुरक्षण करने हेतु **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति** लागू कर दी गई है।

ग्रामीण कार्य विभाग को वर्ष 2015–16 में 6821.10 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 5612.29 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 1208.81 करोड़ रूपये शामिल है।

जल संसाधन विभाग

कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती जलाशय योजना के रीवर क्लोजर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना से खरीफ 2014 में 5900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई।

8 अदद सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे कुल 12886 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित हो पाएंगे।

राज्य के अन्दर नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत बूढ़ी गंडक–नून–वाया–गंगा लिंक नहर की विस्तृत योजना प्रतिवेदन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से तैयार कराकर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को भेजा गया है। इस योजना से समस्तीपुर,

बेगूसराय एवं खगड़िया जिले के 1 लाख 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी।

''सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण एवं नवादा जिले में नाटा नदी पर अवस्थित वीयर के स्थान पर बराज का निर्माण तथा बकसोती बराज स्थल से सकरी नदी एवं नाटा नदी को लिंक करने की योजना'' की प्रारंभिक योजना की स्वीकृति कर इसका विस्तृत योजना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को समर्पित की गई है, इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नवादा, नालन्दा तथा शेखपुरा जिले के 68000 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

कोशी–मेची लिंक (भारत–भूभाग) योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णियॉ जिले के 2,11,400 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

पटना जिलान्तर्गत दरधा नदी पर ग्राम लवाईच रामपुर के पास 25.88 करोड़ की लागत पर बराज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे मई 2015 में पूर्ण कर 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 1,49,980 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्मित वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के 1,11,640 हे0 क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है।

बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रक्षेत्र के अंतर्गत दॉया कमला बलान तटबंध का 96.50 कि0मी0 से 110.48 कि0मी0 तक के विस्तारीकरण कार्य प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण करा लेने की योजना है। इससे कुशेश्वर स्थान प्रखंड को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी।

चंदन नदी बाढ़ प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 101.234 कि०मी० नये तटबंध निर्माण के विरूद्ध अब तक 94.345 कि०मी० लंबाई में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
वित्तीय वर्ष 2015–16 में 368 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को बाढ़ अवधि के पूर्व पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न जल निःस्सरण योजनाओं को पूर्ण कर 10510 हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है।

जल संसाधन विभाग को वर्ष 2015–16 में 2288.38 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1510.43 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 777.95 करोड़ रूपये शामिल हैं।

लघु जल संसाधन विभाग

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तक कृषि रोड मैप के अनुसार विभाग के अन्तर्गत 25.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 5.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन का कार्य कराया जाना है।

राज्य योजनान्तर्गत सतही सिंचाई योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष इस मद में 75 योजनाओं को रू0 114.74 करोड़ की लागत राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिसके पूर्ण होने पर 25,333 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी।

नाबार्ड से ऋण आधारित आर0आई0डी0एफ0 योजनाओं में रू0 27.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत अभी तक रू0 6.99 करोड़ की लागत से सतही सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें रू0 2.68 करोड़ की राशि व्यय कर अभी तक 2,930 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में इस मद के अन्तर्गत 04 योजनाओं को रू0 5.01 करोड़ के लागत राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसके पूर्ण होने पर 503 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचांई क्षमता की उपलब्धि होगी।

केन्द्र प्रायोजित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत अब तक रू0 135.35 करोड़ की राशि व्यय कर 66 योजनाओं को पूर्ण करते हुए 11370 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है।

राजकीय नलकूप प्रभाग के अंतर्गत पुराने राजकीय नलकूप के अधीन 5559 अदद्, नाबार्ड फेज–3 के 350 अदद्, नाबार्ड फेज–08 के 1591 अदद्, एवं नाबार्ड फेज–11 के 2740 अदद् सहित कुल 10240 अदद् नलकूप अधिष्ठापित है जिसमें से अभी तक कुल 3604 अदद् नलकूप चालू किये जा चुके हैं।

राजकीय नलकूप प्रभाग में इस वित्तीय वर्ष कुल 79 योजनाओं को 97.13 करोड़ रूपये की लागत राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके पूर्ण होने पर 39113 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की उपलब्धि की प्राप्ति होगी।

राज्य में निजी नलकूपों के अधिष्ठापन कार्य हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना **''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना''** 65.48 करोड़ रू0 की लागत पर स्वीकृत की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार भू–जल विकास मिशन के माध्यम से किया जाना है। इसमें 19,010 अदद् निजी नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे 62161 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।

लघु जल संसाधन विभाग को वर्ष 2015–16 में 908.40 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 324.01 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 584.39 करोड़ रूपये शामिल है।

आपदा प्रबंधन विभाग

वर्ष 2014 में बाढ़ से प्रभावित 20 जिलों के अन्तर्गत 115 प्रखंडों में कुल 1728 गांव में लगभग 26 लाख प्रभावित परिवारों के बीच 3,79,252 क्वीं0 खाद्यान्न, रू0 7357.0 लाख नकद अनुदान, दियासलाई 21,867 अद्द, 41,065 अद्द मोमबत्ती एवं 46,242 अदद् पॉलिथिन शीट्स का वितरण किया गया है।

राज्य स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र अपने भवन में कार्यरत हो गया है। इसके अलावा जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का 36 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 2 जिलों में निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

बाढ़ सहाय्य हेतु विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में एम्बुलेंस क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग को तथा नाव क्रय एवं मरम्मति हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार चक्रवात के मद्देनजर राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 359.40 लाख रू. की राशि उपलब्ध करायी गई है।

शीतलहर से बचावः— वर्त्तमान में शीतलहर को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित कर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से मानक दर के अनुरूप सहायता का प्रावधान किया गया है।

वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदानः— राज्य सरकार ने वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से आश्रितों को अनुदान हेतु संबंधित जिलों को रू0 230.50 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

अग्निकांड :— राज्य में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु 1400.717 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है।

पुनर्वासः—वित्तीय वर्ष 2014—15 में विभागीय बजट में उपबंधित राशि में से भागलपुर, खगड़िया एवं बेगूसराय जिले के नदी के कटाव से विस्थापित कुल 1459 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु विभिन्न पुनर्वास योजनाओं में 8.94 करोड़ रूपये जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

गैर प्राकृतिक आपदाः— चालू वर्ष में गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में घायलों के उपचार एवं मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु रू0 224.873 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

शताब्दी अन्न कलश योजना — राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा आघातयोग्य कमजोर वर्गो के लोगों के बीच भुखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने हेतु प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में एक क्विंटल खाद्यान्न का चक्रीय स्टॉक संधारित किया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग को वर्ष 2015—16 में 557.42 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 50.38 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 507.04 करोड़ रूपये शामिल है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

राज्य में पहली बार **राहत—सह—बचत योजना** कार्यन्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत गंगा एवं गंडक नदी में मछली का शिकारमाही करने वाले मछुआरों को लाभान्वित किया जाना है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदित कृषि रोड मैप के तहत इस विभाग को कुल स्वीकृत 30,406.81 लाख रू0 अन्तर्गत पशु पालन प्रक्षेत्र हेतु 11,729 लाख रू0, गव्य प्रक्षेत्र के लिए 10,500 लाख रू0 तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए 8177.81 लाख रू0 प्रस्तावित हैं। इन तीनों प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में ली जाने वाली भावी योजनायें एवं कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 300 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों का अवधि विस्तारीकरण एवं पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ एवं पारदर्शी बनाना, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने हेतु समग्र पशुधन विकास के

तहत पी0पी0पी0 मोड पर पशुधन विकास केन्द्र की स्थापना ,समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन,समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत वृहत पैमाने पर राज्य में मुर्गी के विकास हेतु लेयर मुर्गी फार्मिंग की स्थापना पर अनुदान की व्यवस्था, निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने,राज्य में देशी गोवंशों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु आधुनिक गोशालाओं के रूप में विकसित करने, बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पशुस्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना को टीकौषधि उत्पादन युक्त बनाने हेतु सुदृढ़ीकरण इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।

राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु समग्र गव्य विकास योजना का कार्यान्वयन, ऋण सह अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से सशक्तिकरण तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना, राज्य के सभी क्षेत्रों को दुग्ध उत्पादन एवं संग्रहण केन्द्र भवन से आच्छादित करने, पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा पशु पोषण कार्य की सुविधा प्रदान कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना तथा दुग्ध उत्पादन लागत व्यय में कमी लाकर दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुँचाना, वर्त्तमान डेयरी प्लान्ट की क्षमता का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, राज्य में दुग्ध विपणन हेतु मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तारीकरण इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।

राज्य में मत्स्य विकास हेतु नये जलक्षेत्रों का सृजन तथा पुराने जलक्षेत्रों का जीर्णोद्धार, जल–जमाव एवं आर्द्र जनित क्षेत्रों को जल कृषि के अन्तर्गत लाना,पालनमात्स्यिकी (CULTURE FISHERIES) एवं प्रगहन मात्स्यिकी (CAPTURE FISHERIES) का प्रोत्साहन एवं विपणन का सुदृढ़ीकरण,मत्स्य पालकों को उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीजों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री समग्र मत्स्य विकास योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु मछुआरों को अनुदान की व्यवस्था,मत्स्यपालकों को मत्स्य तकनीक के विशेष प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करना,राज्य में उन्नत मत्स्य बीजों के विकास हेतु पी0पी0पी0 मोड पर मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना इत्यादि प्रमुख भावी योजनाएँ प्रस्तावित है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को वर्ष 2015–16 में 530.05 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 281.36 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में. 248.69 करोड़ रूपये शामिल है।

कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS), मौसम आधारित फसलबीमा योजना (WBCIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के प्रारम्भ से 30.11.14 तक कुल 9,56,449 किसान क्रेडिट कार्ड निगर्त कर 13,09,97.35 लाख रू॰ की राशि स्वीकृत की गई है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारिता के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से वर्त्तमान में राज्य के 08 जिलों यथा कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में 55 पैक्सों एवं 08 व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण पूर्ण हुआ है जबकि 212 पैक्सों 18 व्यापार मंडलों में निर्माण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य के कृषि रोड मैप 2012–17 अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास हेतु तैयार महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए नये गोदाम निर्माण कराने के निमित्त अबतक 2707 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके विरूद्ध 2017 गोदामों का निर्माण कर 4.67 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 781 में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके निर्माण से 1.876 मे॰टन भंडारण क्षमता का सृजन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु बायोमास गैसीफायर आधारित चावल मील स्थापना के निमित आर॰के॰भी॰वाई॰, आई॰सी॰डी॰पी एवं अन्य योजना के तहत् गैसीफायर एवं चावल मील की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि से अबतक कुल 174 पैक्स/व्यापार मंडल में चावल मील–सह–गैसीफायर का निर्माण पूरा हो गया है तथा 103 में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष में प्रक्रियाधीन है।

पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विकास हेतु खासकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु 2 लाख रू॰ की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जा रहा है। 4950 पैक्सों का चयन कर 2996 पैक्सों को राशि उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्ष 2014–15 में पैक्सों में विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सितम्बर, 2014 तक कुल 8,34,120 नये सदस्य बनाये गये हैं, जिसमें 5,32,483 पुरूष तथा 3,01,637 महिला सदस्य हैं।

सहकारिता विभाग को वर्ष 2015–16 में 744.99 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 648.33 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 96.66 करोड़ रूपये शामिल है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार राज्य में भू–भाग के वर्त्तमान 10.04 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा **'हरियाली मिशन'** नामक एक महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भावी योजना एवं कार्यक्रम

मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना में पटना तथा अन्य प्रमुख शहरों में वृक्षारोपण किया जायेगा। बंजर/जलजमाव वाले क्षेत्र में 10.00 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

नदी तट बंध, नहर तट बंध तथा पथ तट बंध में क्रमशः 16.50 लाख, 27.71 लाख तथा 11.48 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त संस्थाओं में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों की भूमि पर पॉपलर के 86 लाख तथा अन्य प्रजाति के 56.5 लाख कुल 142.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉपलर) के अंतर्गत जनवरी–फरवरी, 2015 में स्थापित पौधशालाओं से कुल 145.4 लाख एवं मुख्यमंत्री निजी अन्य प्रजाति के पौधशाला के अंतर्गत 83.20 लाख पौधे किसानों द्वारा उगाने का लक्ष्य है जिसे विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर इन पौधों का क्रय वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर कृषि वानिकी तथा अन्य योजनाओं में उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा अतिरिक्त 140.60 लाख पौधों की पौधशालाओं को प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

पर्यावरण एव वन विभाग को वर्ष 2015–16 में 231.96 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 116.49 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 115.47 करोड़ रूपये शामिल है।

शिक्षा विभाग

प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत 1.54 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। इसके अंतर्गत लगभग 80,000 पदों पर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। शेष का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21,419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 20,906 (98%) प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के अब तक कुल 19,725 लक्ष्य के विरूद्ध 19,551 (99%) प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है।

प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 के लगभग 1,95,29,509 (96%) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 के अनु०जाति/जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे के सभी बालकों को पोशाक हेतु रुपये 400/–प्रति बच्चा की दर से लगभग रू० 228,38,70,400 की राशि जिलों को उपलब्ध कराई गयी है।

13,708 वर्गकक्ष का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह नवम्बर, 2014 तक किया गया है। साथ ही 62,550 वर्ग कक्ष निर्माणाधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में वर्ग I-VIII के 13623732 छात्र/छात्राओं को औसतन प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया है।

माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल लक्ष्य **17583** के विरूद्ध संबंधित नियोजन इकाईयों में **7254** माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। शेष रिक्त इकाई के विरूद्ध नियोजन प्रस्तावित है।

शैक्षणिक सत्र 2013–2014 में (+2) शिक्षा हेतु सृजित पद **41871** के विरूद्ध नियोजन इकाईयों में **5,391** उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है।

4500 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में से 1291 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए वर्त्तमान शैक्षिक सत्र से अध्यापन (वर्ग 9) प्रारंभ किया गया। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा 1291 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत राज्य के **5,739** विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को परिभ्रमण हेतु सभी जिलो को **20,000/**–रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

1716122 **छात्राओं** को प्रति छात्रा **1000/–रूपये** (एक हजार) की दर से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत कुल **1,71,61,22,000 रुपये (एक अरब एकहत्तर करोड़ इकसठ लाख बाईस हजार)** सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना :–9वीं कक्षा में नामांकित **7,33,680 छात्र** एवं **7,24,494 छात्रा** को मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा **2500/–रुपये** की दर से साईकिल क्रय हेतु कुल **3,64,54,35,000/– (तीन अरब चौंसठ करोड़ चौबन लाख पैंतीस हजार)** रुपये सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

बालिका प्रोत्साहन योजना :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के छात्राओं के लिए प्रति छात्रा **10,000/– रूपये** की दर से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 63738 लाभुकों के वितरण हेतु 63,73,80,000 (तिरसठ करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) रुपये जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत (सहायता

प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक प्री–मैट्रिक छात्रवृति अंतर्गत कुल 17,58,2051 छात्राओं को 2**20.77 करोड़** रुपये छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी गयी है।

प्रत्येक पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अबतक कुल 1136 विद्यालय का उत्क्रमण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक पाँच किलोमीटर की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अबतक कुल 1153 विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया है।

राज्य में आई0आई0एम0 की स्थापना हेतु मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में कुल 150 एकड़ भूमि चयनित किया जा चुका है तथा राज्य में स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय को एनडाउमेंट प्लान के तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई 446 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 110 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना अंतर्गत केन्द्रों पर संदर्भित समुदाय की 15–35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को 20–20 की टोली में बुनियादी साक्षरता के साथ–साथ उन्हें विकासात्मक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य 771 विद्यालयों के विरूद्ध कुल 275 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयो का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 496 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बालिका छात्रावास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य 257 के विरूद्ध 12 बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 245 बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में एक–एक मॉडल स्कूल का निर्माण हेतु कुल निर्धारित लक्ष्य 353 के विरूद्ध 13 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

2015–16 का भावी कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2015–16 में शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के मद्देनजर राज्य में सम्पन्न टोला सर्वेक्षण **(Habitation Mapping)** के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की अर्हता रखने वाले अनाच्छादित 1896 बसावटों के लिए प्राथमिक विद्यालय का भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित करना,राज्य के अर्हता रखने वाले अनाच्छादित बसावटों के लिए 610 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमण,छात्र वर्ग कक्ष अनुपात को बेहतर करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत 25,529 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण,राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 2 इकाई शौचालय (बालिका एवं बालक के लिए अलग–अलग) की उपलब्धता 15 अगस्त, 2015 तक सुनिश्चित कराना प्रस्तावित है।

राज्य में पहली बार कराये गये टोला सर्वेक्षण (Habitation Mapping) के अनुसार 1,896 ऐसे बसावट हैं जहॉ मानक के अनुसार 1 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा

उपलब्ध नहीं है वैसे बसावटों में विद्यालय के लिए भूमि प्राप्त करने की कारवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये राज्य में **महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना** का संचालन का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री साक्षरता योजना –

राज्य योजना के अंतर्गत राज्य के 57 काराओं में बंद संसीमित निरक्षर बंदियों को साक्षरता/समतुल्यता केन्द्रों के माध्यम से साक्षरता प्रदान करते हुये साक्षरता प्रदान किया जायेगा। जिसमें लगभग 183.10 लाख रु0 व्यय होने का प्रस्ताव है।

शिक्षा विभाग को वर्ष 2015–16 में 22,027.96 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 10,950.14 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 11,077.82 करोड़ रूपये शामिल है।

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भावी योजना एवं कार्यक्रम

नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के लिए भवनों के निर्माण कार्य एवं संस्थान के कर्मशाला, प्रयोगशाला, छात्रावास, वर्गकक्ष एवं कार्यालय में आवश्यक मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

गया, मोतिहारी एवं दरभंगा में नवस्थापित एवं संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भवनों का निर्माण कार्य किया जाना है।

नवस्वीकृत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय, वी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के भवनों के निर्माण हेतु मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग) अन्तर्गत राशि प्रस्तावित है। रोहतास, कटिहार एवं मुंगेर जिला में नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

राज्य के सभी जिलों में एक–एक पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु आवश्यक भवन निर्माण कराना प्रस्तावित है। सरकार के सुशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुंगेर, समस्तीपुर तथा गोपालगंज जिला में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

नवस्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों के कर्मशाला, प्रयोगशाला, छात्रावास, वर्गकक्ष एवं कार्यालय में आवश्यक मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं पुस्तकों के क्रय हेतु सुसंगत योजना बजटशीर्ष में राशि प्रस्तावित है।

दरभंगा में 164.31 करोड़ की लागत पर स्वीकृत तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के निर्माण एवं विकास प्रस्तावित है। गया में प्रस्तावित तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के निर्माण एवं विकास, पटना में प्रस्तावित अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास, इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर–तारामंडल में नया प्रोजेक्शन सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन, पटना में प्रस्तावित, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास तथा अधिष्ठापन प्रस्तावित है।

मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण जिला में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त संस्थानों में सत्रारंभ वर्ष 2015–16 से प्रस्तावित है। पूर्व में स्थापित एवं संचालित 12 पोलिटेकनिक संस्थानों में 50 बेड के महिला छात्रावास का निर्माण किया गया है।

सहरसा प्रमंडल में नवस्वीकृत वी॰पी॰ मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा में विभिन्न कोटि के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 135.74 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़ चौहतर लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा तथा राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा में 150 बेड का दो–दो बालक छात्रावास के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 38.56 करोड़ रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में Communication Skill को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्थानों में रू॰68.25 लाख मात्र की लागत से Language Lab अधिष्ठापित की जा रही है।

दो अभियंत्रण महाविद्यालय यथा एम॰आई॰टी॰ मुजफ्फरपुर एवं बी॰सी॰ई॰ भागलपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रति संस्थान रू॰ 466.00 लाख मात्र की पुनरीक्षित लागत से 100 बेड के नये छात्रावास के निर्माण कार्य किया जा रहा है।

गया, दरभंगा एवं मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्वीकृत छात्रावासों (बालक एवं बालिका) के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आवासित है।

पटना में अर्न्तराष्ट्रीय मानक स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। साइंस सिटी के निर्माण हेतु पूर्व में उपलब्ध 15.56 एकड़ भूमि के बगल में सटे हुए लगभग 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विज्ञान एवं प्रवैद्यिकी विभाग को वर्ष 2015–16 में 122.37 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 49.57 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 72.80 करोड़ रूपये शामिल है।

स्वास्थ्य विभाग

राज्य में दिनांक 07 जनवरी 2015 से **पेंटावैलेन्ट वैक्सिन** को नियमित टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें डिप्थिरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटायटिस बी एवं हेमोफिलस इंफ्लुएंजा बी. से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2014 में मातृ एवं शिशु में होने वाले टेटनस के उन्मूलन के लक्ष्य को राज्य में प्राप्त कर लिया गया है।

नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी Electronic Health Record तैयार करने हेतु राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में वाह्य कक्ष में मरीजों का निबंधन, दवा वितरण, रेडियोलॉजी–पैथोलॉजी जॉच की सुविधा इत्यादि हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली **"संजीवनी"** का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत् अब तक 2.67 करोड़ से अधिक मरीजों का पंजीयन किया गया है एवं 15.34 लाख से अधिक मरीजों को रेडियोलॉजी/पैथोलॉजी जाँच की सुविधा दी गयी है।

दन्त चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पैठना, रहुई (नालंदा) में नये दन्त चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में विभिन्न योजनाओं यथाः सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स के भवन का शिलान्यास एवं पैथोलॉजी केन्द्र, डायलिसिस केन्द्र, ऑनलाईन केन्द्रीय पंजीकरण सुविधा, स्टेट रिसोर्स सेन्टर तथा मेडिकल ICU का शुभारम्भ किया गया।

राज्य के कुल 534 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से वर्त्तमान में 246 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24X7 सेवा प्रदान की जा रही है।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक–एक मोड्यूलर ओ0टी0 की स्थापना की जायेगी।

सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में लोक निजी भागीदारी से एम0आर0आई0 एवं सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाएंगे।

नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय प्रांगण में जननी एवं शिशु के लिए 100 शैय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना की जायेगी। साथ ही अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में जननी एवं शिशु के बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए 100 शैय्या यूनिट की स्थापना की जायेगी।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का मास्टर प्लान के तहत् उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। राज्य के एक अस्पताल में आधुनिक किडनी प्रत्यारोपण इकाई की स्थापना की जायेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक शव अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण करायी जायेगी।

इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में State Cancer Institute एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर तथा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कैंसर की चिकित्सा हेतु Tertiary Care Cancer Center की स्थापना की जायेगी। इस अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2014–15 में 51 करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्रधान मंत्री शहरी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत राज्य के दो चिकित्सा महाविद्यालयों यथा–दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर का उन्नयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत इन चिकित्सा महाविद्यालयों में आठ–आठ सुपरस्पेशलिटी विभाग स्थापित होंगे।

स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2015–16 में 4971.67 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2362.99 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 2608.67 करोड़ रूपये शामिल है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अन्तर्गत माननीय सदस्य बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 37,872 चापाकल तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसावटों के आच्छादन हेतु 14,969 चापाकल लगाये गये है।

राज्य के विभिन्न जिलों में 75 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं 143 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण कर चालू किया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के घरों में 57,699 शौचालय एवं गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के घरों में 19,090 शौचालय यानी कुल 76,789 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

राज्य के 11 आई0ए0पी0 जिलों में पेयजल सुविधा हेतु इण्डिया मार्क– II पम्प एवं सौर उर्जा आधारित पम्प (डूवेल) पम्प के साथ 281 योजनाओं के निर्माण एवं इनके पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 22.75 करोड़ रूपये की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की गई है।

716 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में 125 मी0 गहरे नलकूप लगाने एवं पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 6.47 करोड़ रूपये की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कार्य प्रगति में है।

बेगुसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगुसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए 191.78 करोड़ की राशि पर स्वीकृत सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की गई है।

इसी प्रकार समस्तीपुर जिला के पटौरी, मोहिउद्दीननगर एवं मोहनपुर प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 67 ग्रामों/बसावटों में पेयजल की व्यवस्था हेतु बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना की

स्वीकृति 137.80 करोड़ रूपये की राशि पर दी गई है, जिसके लिए भू–अधिग्रहण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगुसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड में सतही जल आधारित चेरिया बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 51.20 करोड रू0 की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई है एवं कार्य प्रारम्भ किया गया है।

नवादा जिला के रजौली प्रखण्ड के फ्लोराईड से प्रभावित 90 ग्रामों/टोलों में फुलवरिया बाँध के सतही जल पर आधारित रजौली बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 84.82 करोड़ रू0 की राशि पर दी गई है एवं कार्य प्रारम्भ किया गया है।

नालंदा जिला के राजगीर एवं सिलाव प्रखण्ड के फ्लोराईड प्रभावित 38 ग्रामों/टोलों में सिलाव बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 61.26 करोड़ रू0 की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई है एवं कार्य प्रारम्भ किया गया है।

पश्चिम चम्पारण जिला के चनपटिया एवं मंझौली प्रखण्ड के 13 टोलों में भू–गर्भीय जल आधारित घोघा घाट पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 38.33 करोड़ रू0 की राशि पर बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई है एवं कार्य प्रारम्भ किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM (G))

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को वर्ष 2019 तक स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, परिक्रमी निधि, प्रचार–प्रसार आरंभिक गतिविधियाँ तथा क्षमता विकास और प्रशासनिक प्रभार की गतिविधियों को शामिल करते हुए कुल रू0 22164. 288 करोड़ की राशि पर योजना स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भावी योजना एवं कार्यक्रम

'मुख्यमंत्री चापाकल योजना' के अन्तर्गत बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्य की अनुशंसा पर 55,000 चापाकलों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके लिए 140 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

आर0आई0डी0एफ0 के तहत नाबार्ड की सहायता से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही दो बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना हेतु कुल 27.34 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

डी0एफ0आई0डी0–स्वस्थ परियोजना के अन्तर्गत सौर उर्जा चालित 100 मिनी जलापूर्ति योजना, प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में 100 WATSAN Complex एवं पाँच ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए कुल 52.59 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु 110 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लगभग 300 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं, 600 मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं 30,000 चापाकलों के लगाये जाने हेतु कुल 301.49 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत विगत् वर्षों में स्वीकृत लगभग 300 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, सौर उर्जा चालित 600 मिनी जलापूर्ति योजना तथा फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में 340 ट्रीटमेंट यूनिट के साथ मिनी जलापूर्ति योजना एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों में 400 बसावटों के लिए ट्रीटमेंट यूनिट के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 500.74 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए 371.06 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है, जिससे 25 लाख शौचालयों के निर्माण करने का लक्ष्य है।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 4 बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना एवं 152 एकल ग्राम पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन का लक्ष्य है।

लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग को वर्ष 2015–16 में 1516.13 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1108.78 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 407.35 करोड़ रूपये शामिल है।

ऊर्जा विभाग

नवम्बर, 2013 में राज्य भर में पीक लोड पर लगभग 2000–2200MW की आपूर्ति होती थी जो अक्टूबर, 2014 में बढ़कर 2831 MW हो गयी है।

वर्षों से बंद बिजली इकाईयों में जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के पश्चात् 110 मेगावाट की यूनिट का विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। दूसरा यूनिट (110 मेगावाट) का भी वाणिज्यिक उत्पादन चालू। 195 मेगावाट की दो नई इकाईयों (विस्तारीकरण) में निर्माण कार्य जारी है जिसे क्रमशः सितम्बर, 2015 एवं जनवरी, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

एन.टी.पी.सी. बाढ़ के प्रथम यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। बरौनी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 110 मेगावाट की दो इकाईयों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य प्रगति पर। 2×250 मेगावाट की दो नई इकाईयों का विस्तारीकरण कार्य प्रगति पर है।

नवीनगर स्टेज–I में 660 मेगावाट की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है। चौसा (बक्सर) में 660 मेगावाट की दो इकाईयों के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत् निगम के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अतिरिक्त पीरपैंती (भागलपुर) एवं कजरा (लखीसराय) में भी 2×660 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु क्रमशः एन0एच0पी0सी0 तथा एन0टी0पी0सी0 के साथ भी समझौता किया गया है।

बाँका अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (लगभग 4000 मेगावाट) की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा गया।

विद्युत् आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य में इस वर्ष में 6 नये ग्रीड उपकेन्द्र एवं 31 नये शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है। साथ ही वितरण प्रणाली में विगत तीन वर्षो में लगभग 42050 किलोमीटर जर्जर एवं पुराने तारों को बदला गया है।

16 के०वी०ए० एवं 25 के०वी०ए० के त्रुटिपूर्ण ट्रांसफॉर्मरों को प्राथमिकता के आधार पर MPLAD एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बदला जा रहा है तथा अब तक 8226 ट्रांसफॉर्मर बदले जा चुके हैं।

उपभोक्ताओं को बिजली विपत्र भुगतान हेतु एटीएम, सहज वसुधा केन्द्र, एटीपी मशीन, नेट बैंकिंग, मोबाईल फोन तथा ग्रामीण बैंक की बहुविधिक विकल्पों का विस्तार किया गया है। साथ ही विपत्र भुगतान हेतु मोबाईल वैन की सुविधा भी उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है।

राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णरूपेण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य जारी है। 11 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 27 जिलों में निविदा का निष्पादन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अन्तर्गत पाँच जिलों में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम 560 अद्द के अधिष्ठापन का कार्य जारी है, जिसमें से 412 सोलर पम्प का अधिष्ठापन पूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्तर्गत 11 जिलों में 1000 सोलर पम्प का कार्य प्रगति पर है एवं 733 सोलर पम्प अधिष्ठापित की गयी है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को शत–प्रतिशत अनुदानित दर पर 5000 अदद सोलर लालटेन गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया एवं मधुबनी जिला में ''जीविका'' के माध्यम से वितरित हुई है।

सोलर फोटो भोल्टाईक योजना के तहत 4900 अदद सौर घरेलू लाईट गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया, मधुबनी एवं पूर्णिया जिलों में अनुदानित दर पर ''जीविका'' के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

बी०ई०ई० योजना के तहत पटना नगर निगम में परम्परागत Street Light को बदलकर 366 अदद LED Street Light अधिष्ठापित की गई।

ऊर्जा विभाग को वर्ष 2015–16 में 8436.89 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4058.60 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 4378.29 करोड़ रूपये शामिल है।

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को उनकी मेहनत का सही लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (177 रू.) का भुगतान किया जा रहा है इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर(168 रू.) पर अन्तर की राशि का भुगतान राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार के समुचित अवसरों के साथ–साथ स्थायी

परिसम्पत्ति सृजित किये जाने हेतु संबंधित परिवारों की आय में चिरस्थायी वृद्धि के लिए सामाजिक वानिकी द्वारा वनपोषकों को लगातार पॉच साल तक प्रत्येक महीना 1400/—रू0 पॉच वर्ष तक दिया जायेगा।

मनरेगा के तहत अबतक राज्य इस वित्तीय वर्ष में कुल 1231.57 करोड़ रूपये व्यय कर 12.04 लाख परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराकर कुल 326.05 लाख मानव दिवस सृजित किया गया।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 आई0ए0पी0 जिला में 75 हजार रू0 तथाअन्य जिलों में 70 हजार रू0 की दर से कार्य की स्वीकृति प्रदान कर अब तक 274781 इंदिरा आवास को स्वीकृत किया गया है। इन सभी आवासों में शौचालय निर्माण प्रस्तावित है।

कुल 1.81 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के इंदिरा आवास जो विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं हो पाये उसे मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत राज्यकोष से पूर्ण कराने हेतु प्रत्येक लाभान्वित परिवार को 30 हजार रू0 के दर से अबतक कुल 225.00 करोड़ रू0 उपलब्ध कराए गए तथा इसे माह अप्रील—मई 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र एवं राज्य कुल विमुक्त राशि 1353.80 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1708.70 करोड़ रूपये व्यय कर 274981 के लक्ष्य के विरूद्ध 274781 नये आवासों की स्वीकृति देते हुये पूर्व लंबित योजनाओं सहित 303551 आवासों को पूर्ण किया गया।

स्वयं सहायता समूहों तथा उन समूहों के परिसंघों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में जीविका कार्यक्रम द्वारा अबतक लगभग 2,51,769 स्वयं सहायता समूहों, 10,816 ग्राम संगठनों तथा 156 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन हो चुका है। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अपंग लगभग 2400 व्यक्तियों के 300 समूहों का भी गठन अलग से किया गया है। आगामी वर्ष मे इन समूहों एवं संगठनों की संख्या दुगुनी करने का प्रस्ताव है।

अबतक लगभग 1,61,048 स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोले गए हैं तथा लगभग 88,252 स्वयं सहायता समूहों को 482.71 करोड़ रूपये की राशि का वित्त पोषण किया गया है और अगले एक वर्ष की अवधि में लगभग इतने ही समूहों को लगभग एक हजार करोड़ रूपये की राशि का वित्त पोषण किया जाएगा। राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन की दिशा में 41 एजेन्सियों के साथ एकरारनामा हो चुका है जो एक वर्ष की अवधि में लगभग 1.08 लाख युवाओं का कौशल संवर्धन कर उनका नियोजन सुनिश्चित करेंगी। अबतक लगभग 10365 युवाओं को प्रशिक्षित तथा 5734 युवाओं को संगठित/असंगठित क्षेत्रों में नियोजित किया जा चुका है।

ग्राम संगठनों को अबतक खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 107.93 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 5,59,584 परिवारों का आच्छादन किया जा चुका है तथा बीमा योजना अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के 16347 छात्रों को छात्रवृति के रूप में 185.58 करोड़ रूपये राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

गर्भवती महिलाओं, दूध पिलानेवाली माताओं एवं नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की देख रेख करने एवं उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए अभी राज्य के तीन जिलों में कुल 92 सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पौष्टिकता केन्द्र संचालित हैं इससे अद्यतन लाभान्वितों की संख्या 9,045 है। अगले एक माह के अन्तर्गत अन्य आठ जिलों में ऐसे 300 केन्द्र स्थापित किये जाएँगे।

Institute of Rural Management, Anand (IRMA) की तर्ज पर राज्य में एक विकास प्रबंधन संस्थान (DMI) की स्थापना की गई है। इस संस्थान में वर्ष 2014–15 से पोस्ट ग्रेजुएट इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट (PGDM) डिग्री की पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है। इस संस्थान के लिए 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक पदों का सृजन कराया गया है।

बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर प्रखंड स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को सुद्ढ़ीकरण कर ससमय अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड भवन सह अंचल कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भवनहीन/क्षतिग्रस्त प्रखण्ड सह अंचल भवनों के स्थान पर कुल 77 जगहो पर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग को वर्ष 2015–16 में 5216.06 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4923.53 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 292.53 करोड़ रूपये शामिल है।

पंचायती राज विभाग

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें और सबल बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015–16 में 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम अन्तर्गत राशि स्वीकृत कराये जाने का प्रस्ताव है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 876.61 करोड़ रू० व्यय की स्वीकृति प्रस्तावित है।

मुख्य मंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 103.00 करोड़ रू० उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अभी तक प्राप्त नही हुई है परन्तु पूर्व मानक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को कुल 1014.16 करोड़ रू० उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में मानदेय भुगतान के लिए 203.3129 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को आकस्मिक व्यय हेतु चार–चार हजार रू० की दर से प्रति ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुग्रह अनुदान हेतु भी वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

प्रक्रियात्मक विलंब को दूर करने हेतु रुपये पाँच लाख तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कनीय अभियंता को शक्ति प्रत्योजित की गयी है।

पंचायती राज विभाग को वर्ष 2015–16 में 4,364.32 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 754.19 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 3610.13 करोड़ रूपये शामिल है।

योजना एवं विकास विभाग

क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग के कृत्यों एवं दायित्वों में सकारात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है एवं विभाग के **प्रशासनिक नियंत्रण में एक अनुश्रवण संभाग (बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण) का गठन** किया गया है, जिसमें विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्ग के कुल 105 पदों को सृजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भावी योजना एवं कार्यक्रम

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1067.08 करोड़ रू0 कर्णाकित की गयी है। विश्व बैंक सम्पोषित इस कार्यक्रम के तहत आवास निर्माण, पथ एवं पुलिया, बाढ़ प्रक्षेत्र प्रबंधन एवं तकनीकी तथा परियोजना प्रबंधन आदि योजनाएँ कार्यान्वित करायी जा रही है ।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना के लिए 661 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस राज्य के सीमावर्ती 7 जिलों के विकास कार्यक्रम के लिए 66.92 करोड़ रू0 निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवप्रवर्त्तन के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

योजना एवं विकास विभाग को वर्ष 2015–16 में 1952.45 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1803.55 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 148.90 करोड़ रूपये शामिल है।

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु अब तक कुल 243667 वास रहित परिवारों को चिन्हित किया गया है जिसमें अबतक 233470 महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसमें कुल 42289 वास रहित महादलित परिवारों को रैयती भूमि क्रय नीति 2010 के अन्तर्गत 3 डी0 की दर से वास भूमि क्रय की गयी है। शेष बचे 10197 सर्वेक्षित परिवारों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अभियान बसेरा के अन्तर्गत महादलित के साथ–साथ शेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I एवं II के सभी वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत 19683 परिवार सर्वेक्षित किये गये है। जिसमें 2553 परिवार को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष वास रहित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में वास भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

वैसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास राज्य अथवा राज्य के बाहर अपनी वास भूमि अथवा आवास नहीं हो तथा जो शहरी BPL की सूची में शामिल हो वैसे परिवारों को चिन्हित कर सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को 30 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक भूमि सतत लीज पर वर्ष 2015–16 में वासहित भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित परिवार के सहमति पर, निकटतम पंचायतों में 5 डी0 भूमि क्रय कर उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 365 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 512 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में सम्पर्क सड़क रहित शेष ग्राम/टोले को मुख्य सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 550.00 लाख रूपये का बजट उपबंध हेतु प्रस्तावित है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त अधिनियम 2011, तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त अधिनियम 2012, में आधुनिक तकनीक के उपयोग से राजस्व मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है तथा अद्यतन मानचित्र के आधार पर रैयतवार अद्यतन खतियान भी तैयार किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, एवं सुपौल जिला का हवाई फोटोग्राफी किया जा चुका है एवं प्राप्त डाटा को सुरक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है तथा शेष जिलों में कार्य जारी है।

राज्य में पूर्व से कागज पर संधारित कैडस्ट्रल राजस्व मानचित्रों के सुरक्षित संधारण के उदेश्य से डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। पूर्व की री–सर्वे मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग समाप्ति पर है।

राज्य के सभी अंचलों में अद्यतन खतियान का कम्प्यूटर के माध्यम से संधारण के लिए डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है, अभीतक राज्य के 140

अंचलों में भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के 98 अंचलों में डाटा केन्द्र –सह–आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने की योजना है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वर्ष 2015–16 में 714.28 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 105.41 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 608.87 करोड़ रूपये शामिल है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद एवं 87 नगर पंचायत है, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना 493 करोड़ रू0 लागत व्यय पर कार्यान्वित की जा रही है। इससे नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध जल प्राप्त होगा। योजना के अधीन गया जलापूर्ति योजना की DPR भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

मेट्रो रेल – पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन हेतु राईट्स द्वारा ड्राफ्ट DPR तैयार कर लिया गया है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु SPV का गठन किया जा रहा है।

शहरी आवास योजना के अन्तर्गत पटना फेज–I, पटना फेज–II, पटना फेज–III, गया फेज–I, दरभंगा फेज–I, कटिहार फेज–I, तथा पूर्णिया फेज–I, कुल 7 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 2015–16 में इस योजना के लिए 1231 लाख रू. का प्रावधान किया जा रहा है।

समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना (IHSDP) - इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कृल 32 परियोजनाओं में से HPL के द्वारा कुल 14 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया गया था जिसमें दो योजना पूर्ण है शेष 12 की कार्रवाई की जा रही है। 18 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निकायों के माध्यम से सीधे लाभुकों के द्वारा पूरा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत मेगा शिविर के माध्यम से 6576.70 लाख रू0 लाभुकों के बीच वितरित किया गया है। नगर निकाय नरकटियागंज एवं रोसड़ा की परियोजना भी अब आरंभ होने जा रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग को वर्ष 2015–16 में 2169.85 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1381.74 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 788.11 करोड़ रूपये शामिल है।

समाज कल्याण विभाग

पूरक पोषाहार कार्यक्रम (राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश):– राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677 आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी ऑगनवाडी केन्द्र स्वीकृत है, आहार

का क्रय स्थानीय स्तर (आंगनबाड़ी केन्द्र) पर आँगनवाड़ी विकास समिति द्वारा किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना मद में योजना उद्व्यय केन्द्रांश (50 प्रतिशत) हेतु करीब 550 करोड़ रू0 एवं राज्यांश (50 प्रतिशत) मद में करीब 590 करोड़ रू0 प्रस्तावित है।

आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफॉरमेसन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 700.00 लाख रू0 के विरूद्ध 258.60 लाख रू0 का व्यय 31 दिसम्बर 2014 तक किया गया है। अगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में शत्–प्रतिशत राज्य योजना मद में 700.00 लाख रू0 प्रस्तावित है।

आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य योजना–शत्–प्रतिशत राज्यांश) पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3–6 वर्ष आयु के 40 बच्चों को रू. 250/–वार्षिक लागत की दर पर कुल 3558280 बच्चों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में 8895.70 लाख रू0 का प्रस्तावित है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन सहित):– राज्य के दो जिलों यथा – वैशाली एवं सहरसा में नया इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत अगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना–केन्द्रांश मद में 4051.00 लाख रू0 का प्रस्तावित है।

SWASTH योजना :– पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु बिहार राज्य में क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण (SWASTH) कार्यक्रम के अगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4604.51 लाख रू0 प्रस्तावित है।

अगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में आँगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण/उत्क्रमण योजना/रख–रखाव हेतु राज्य योजना अन्तर्गत योजना उद्व्यय प्रक्रियाधीन है।

समाज कल्याण कार्यक्रम योजना के तहत, बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/– (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/– (पाँच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 8400 लाख रू० प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाले कन्याओं के लिए मात्र 2000/– (दो हजार) रूपये प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू0टी0आई0 के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 6000 लाख रू० प्रस्तावित है।

किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 62ए के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक (एक) एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण एककों (38) का गठन किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1000 लाख रू० प्रस्तावित है।

बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 120 लाख रू० का योजना उद्व्यय प्रस्तावित है जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना घटक के लिए कुल 20 लाख रू0 सन्निहित है।

राज्य के सभी जिलों में महिला विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 250 लाख रू० प्रस्तावित है।

पर्यवेक्षण गृहों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में 30 लाख रू० प्रस्तावित है।

परवरिश योजना के तहत आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो अथवा वार्षिक आय 60,000/– (साठ हजार) रू0 से कम हो, (एच0आई0वी0/एड्स से पीड़ित मामलों को छोड़कर) के बच्चों को पालन–पोषण के लिए अनुदान भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 250 लाख रू० प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला (वधू) को 25,000/– रूपये के स्थान पर 50,000/– रूपये मात्र राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के फिक्स्ड डिपॉज़िट के माध्यम से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 200 लाख रू0 प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री संवासिन कन्या विवाह अनुदान योजना में अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से सरकार द्वारा स्थापित आश्रय गृहों में रह रहे आवासिनों को विवाह के अवसर पर संबंधित गृह के अधीक्षक द्वारा कन्या के नाम चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्य महिला आयोग का गठन महिला जागृति, उनके अधिकार सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने तथा सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 150 लाख रूपये प्रस्तावित है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु नई एवं पुरानी योजनाओं को एकीकृत कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अभी तक 10.29 लाख विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणीकृत किया गया है एवं इसमें 6.03 लाख विकलांग व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1400 लाख रू० प्रस्तावित है।

कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अन्तर्गत 400 लाख रू० प्रस्तावित है।

समाज कल्याण विभाग को वर्ष 2015–16 में 4179.19 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4118.76 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 60.43 करोड़ रूपये शामिल है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में 546.86 करोड़ रू0 स्वीकृत कर जिलों को उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक उत्सव कार्यक्रम 22 दिसम्बर, 2014 से 05 जनवरी 2015 के अन्तर्गत विद्यालय छात्रवृति का वितरण किया गया। वर्ष 2014–15 में लगभग 38 लाख छात्र/छात्राओ को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2015–16 में इस मद में लगभग 746.29 करोड़ रू0 प्रावधान करने का प्रस्ताव है। लगभग 40 लाख छात्र/छात्राओ को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना के तहत् 10,000/– रूपये देने की योजना 2008–09 से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 10वी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति के 22500 छात्र/छात्राओं को आच्छादित करने हेतु राशि विमुक्त की गई है।

अम्बेडकर फॉउण्डेशन, बिहार की स्थापना की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में 20 करोड़ रू0 प्रस्तावित है।

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2014–15 में अब तक 990.09 लाख रूपये जिलों में आवंटित किया जा चुका है, जिससे अबतक 2225 पीड़ित व्यक्तियों को लाभांवित किये गये हैं। अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत मृतक के आश्रितों को 4500/–रूपये प्रतिमाह के दर से पेंशन दिया जा रहा है। अबतक 227 लोगों को पेशन दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में 30.03 करोड़ रू0 प्रस्तावित है।

महादलित के विकास हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं के लिए वर्ष 2014–15 में 216.23 करोड़ रू0 की स्वीकृति दी गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में विकास मित्रों का कुल 9875 स्वीकृत पद के विरूद्ध 9530 का चयन कर लिया गया है। मुख्य मंत्री महादलित रेडियो योजना के तहत अबतक 38 जिलो में लगभग 17 लाख महादलित परिवारो को 67.92 करोड़ रूपये व्यय कर रेडियो उपलब्ध कराया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से 19 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में 220 करोड़ रू0 प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को वर्ष 2015–16 में 1497.52 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1284.11 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 213.41 करोड़ रूपये शामिल है।

पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 13800000 छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है। इस हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत 161700 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना *के* अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना के तहत 3,00,68 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 4778.83 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है जिससे लगभग **4,50,000** छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के तहत् 500 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है। जिससे लगभग **5,00,000** छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

प्रावैधिक छात्रवृत्ति योजना *के* अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत प्रावैधिकी छात्रवृत्ति हेतु 75 लाख रू0 मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जिससे लगभग 8875 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु गैर योजना मद में 25 लाख रूपये मात्र का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 21000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10000/– रूपये एकमुश्त वृत्तिका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल करीब 60 करोड़ रूपया मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जिससे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 60002 छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के अवशेष कार्यों के निर्माण एवं इसके संचालन हेतु 1500 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को वर्ष 2015–16 में 1975.30 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1962.02 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 13.28 करोड़ रूपये शामिल है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सच्चर कमिटी की सिफारिशों के आलोक में हमारी सरकार के द्वारा राज्य के अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है ।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2014 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से द्वितीय श्रेणी से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को भी 8,000/– रूपये तथा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को क्रमशः 15,000/– रूपये एवं 10,000/–रूपये एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित किया जा सकेगा।

अल्पसंख्यक छात्रावास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना स्वीकृत है। अब तक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 34 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें से 22 छात्रावास संचालित है तथा 12 छात्रावास संचालन प्रारम्भ होने की प्रक्रिया में है। 18 जिलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कार्य प्रगति पर है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है।

वर्तमान में सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी (CIPET) हाजीपुर में 280 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है एवं रेमण्ड कम्पनी के पटना में स्थित आधुनिक प्रशिक्षण गृह में टेलरिंग प्रशिक्षण हेतु 175 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत वर्ष 2014–15 (नवम्बर 2014) तक कुल 535 आवेदकों को राशि वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वर्ष 2014–15 (नवम्बर 2014) तक कुल 4986 आवेदकों को राशि वितरित की जा चुकी है।

सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशालय का गठन कर निदेशक एवं कुछ अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों का पदस्थापन भी कर दिया गया है। जिलों में 35 अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दी जा चुकी है। जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भवन एवं विभाग के आवास भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

राज्य में अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ कार्यरत विभिन्न अकादमी/बोर्ड/समिति यथा बिहार उर्दू अकादमी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य हज समिति को वार्षिक अनुदान राज्य कोष से जाती है तथा इसमें आवश्यकतानुसार इसमें समय–समय पर वृद्वि की जाती है।

राज्य में हज यात्रियों की सुविधा हेतु गया में भी एक हज यात्री भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वर्ष 2015–16 में 299.37 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 286.30 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 13.07 करोड़ रूपये शामिल है।

उद्योग विभाग

वर्ष 2014–15 में उद्योगों को प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं हेतु 390 करोड रू0, हस्तकरघा प्रक्षेत्र हेतु 30 लाख रू0, भू–अर्जन हेतु 20 लाख़ रू0, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोत्साहन हेतु 30 करोड रू0, रेशम विकास हेतु 60 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 तक कुल 369 बड़े उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रस्तावित पूँजी निवेश 3553.71 करोड़ रूपये तथा संभावित नियोजन 15344 है। अभी तक इन इकाईयों के द्वारा करीब 1807 करोड़ रूपये पूंजी का निवेश किया जा चुका हैं। इसमें 5 इकाईयों में उत्पादन शुरू हो गया है।

राज्य में औद्योगिक विकास के क्रम में निजी औद्योगिक क्षेत्र की उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अंतर्गत न्यूनतम 25 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक ईकाइयों का निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 17 करोड़ रू0 की स्वीकृति एवं 7 करोड़ रू0 राशि विमुक्ति की गई है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं 2011 के अंतर्गत निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है:–

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत 198 करोड़ रू0 राशि वैट की प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध करायी गई है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अंतर्गत 92 करोड़ रू0 की राशि AMG एवं MMG अंतर्गत छूट प्रदान करने हेतु बिहार पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना को उपलब्ध कराई गयी है, रूग्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुर्नवास के लिये चक्रीय निधि हेतु 50 करोड़ रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं डी0जी0 सेट एवं अन्य सुविधाएँ हेतु 25 करोड़ रू0 स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को जन निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अन्तर्गत जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना एवं इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के रूप में विकसित करना, बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण, पावर ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण इत्यादि कार्य प्रक्रियाधीन है। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी, महिला आई0टी0आई0, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया आदि के भवन निर्माण की महत्वपूर्ण योजनाए चल रही है। पटना स्थित निफ्ट कैंपस, बामेती भवन एवं महिला आई0टी0आई0, दीघा जैसे महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा किया गया है।

भूमि बैंक निधि से विभिन्न परियोजनाएँ हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर क्रमशः 100/50/30 एकड़ भू–अर्जन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में पी0एम0सी0 द्वारा 67 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 594 करोड़ रूपये है। 22 इकाईयाँ वाणिज्यिक उत्पादन में आ गई हैं तथा इसमें संभावित नियोजन 3248 है।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र में छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों ओबरा, औरंगाबाद/झींग नगर, बिहार शरीफ/कौआ कोल, नवादा/काको, जहानाबाद/पुरैनी, भागलपुर/चाकंद, गया में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं का वृतिका 300 रू0 से बढ़ाकर 800 रू0 प्रति माह किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना हेतु 1278.72 लाख रूपये स्वीकृत एवं विमुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निजी भूमि में बांका एवं मुंगेर जिलों में कुल 963.00 हेक्टेयर एवं बांका, नवादा, कैमुर रोहतास, आदि जिलों की वनभूमि में 4170 हेक्टेयर में तसर वृक्षारोपण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना हेतु 654.62 लाख रूपये स्वीकृत एवं विमुक्त किया गया है। इस योजना के तहत् सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में लगभग 105 एकड़ में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया। केन्द्र प्रायोजित (सी0डी0पी0) योजना के तहत 15 हे0 में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया।

खादी प्रक्षेत्र के विकास राज्य के संस्थाओं/समितियाँ का पुनरूद्धार हेतु तीन वर्षो के लिए कुल 44.46 करोड़ रू0 राशि की लागत की योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य में रूग्न एवं बंद पड़े खादी संस्थाओं/समितिओं का पुनरूद्धार हेतु आवश्यक उपस्कर, कार्यशील पूंजी, प्रशिक्षण इत्यादि मुह्यैया कराया जाएगी।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु 5.50 करोड़ रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाईयाँ को परम्परागत शिल्पों का निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा आवश्यक सुविधा दी जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों को प्राप्त लक्ष्य 3060 एवं मार्जिन मनी 4429.28 लाख रू0 के विरूद्ध बैकों के माध्यम से 103 इकाईयों के बीच (98.60 लाख राशि मार्जिन मनी सहित) 329.96 लाख राशि ऋण वितरित किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से 354 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के परिसर में 5.53 लाख रू0 की लागत से एक बिक्री केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसे ई–कामर्स के माध्यम से वेबसाइट पर जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए स्वीकृत राशि 229.53 लाख रू0 एवं इसका मैचींग राज्यांश के रूप में 162.51 लाख रू0 वित्तीय वर्ष 2014–15 में विमुक्त किया गया है। कुल चार राईस मिल इकाईयों को सब्सिडी के रूप में स्वीकृत लगभग 116 लाख रू0 के विरूद्ध लगभग 58 लाख रू0 विमुक्त किया गया

है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु 30 लाख रू0 का प्रथम किश्त के रूप में ई0डी0आई0आई0, गाँधीनगर को उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में परम्परागत कलाओं से संबंधित शिल्पियों को नेशनल इन्स्ट्रीच्यूट ऑफ डिजाईन, अहमदाबाद के सहयोग से उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग विभाग को वर्ष 2015–16 में 789.49 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 715.87 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 73.62 करोड़ रूपये शामिल है।

सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग

वृहत पैमाने पर आंकड़े संकलन हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना बेल्ट्रॉन भवन में उपलब्ध कराये गये स्थल पर की जायेगी। नालन्दा में I.T. City की स्थापना लगभग 200 एकड़ भूमि पर की जानी है इसके लिए बियाडा से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

कौशल विकास मिशन अन्तर्गत राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को e-Governance के तहत Skill Development Mission का प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में State portal के रुप में State Service Delivery Gateway (SSDG) योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्त्तमान में अब तक कुल 25 सेवाओं को चिन्हित कर अपलोड करने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

पटना के बन्दर बगीचा में राज्य सरकार ने आई0टी0 पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Indian Institute of Technology (IIT) पटना परिसर में अवस्थित STPI (Software Technology Parks of India) में I.T. Incubation Center को स्थापित किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गयी है। जिसके लिए 5 करोड़ रू0 की स्वीकृति प्रस्तावित है।

पटना के डाक बंगला स्थित विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय पर World Class I.T. Tower बनाये जाने की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना में कुल अनुमानित व्यय की राशि 40 करोड़ रू0 मात्र होगी।

राज्य सरकार ने राज्य के सभी ITI प्रशिक्षण संस्थानों में C-DAC के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराने की योजना को मूर्त्त रूप दिया है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से आई0टी0 रोड मैप को के आलोक में निम्नांकित घटकों पर आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जायेगा :–

- World Class IT Tower in Patna
- Existing Software Technology Park of Biscomaun to be upgraded
- Free Wi-Fi HOT SPOTS.

- An IT incubation centre of 100 seats.
- Setting up an autonomous 'Angel Fund' of Rs. 25 Crore to local young IT entrepreneurs.
- Mega IT Infrastructure.
- Setting up of an ambitious but practical target for growth of an IT eco-system.
- Funding for branding exercise to promot Bihar as an emerging IT Investment destination. A separate budget to be allocated for branding of Bihar as Emerging I.T. Destination.
- P.M.A. may be created in I.T. Department.
- Bihar ESDM Policy.
- One Technical Institution of Excellence such as I.I.I.T.

सूचना प्रावैधिकी विभाग को वर्ष 2015–16 में 195.26 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 191.54 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 3.71 करोड़ रूपये शामिल है।

श्रम संसाधन विभाग

बाल श्रम उन्मूलन हेतू गठित धावा दल द्वारा माह नवम्बर, 2014 तक कुल 7149 निरीक्षण कर दोषी पाए गए 379 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया तथा 758 बाल श्रमिकों को विमुक्त कर उनके पुर्नवास संबंधी कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक उद्योगों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से अच्छादित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 342 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 16990 बाल श्रमिक नामांकित है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं इसमें दिनांक–01.10.2014 को हुए संशोधन के फलस्वरूप असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को देय प्रयत्नशील महंगाई भत्ता हेतु इस अवधि में 5198 दावा पत्रों का निष्पादन कर करीब 74 लाख रूपये का आर्थिक लाभ मजदूरों को दिलाया गया तथा 325 दोषी नियोजकों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया।

बीड़ी मजदूरों के गृह निर्माण हेतु 40 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें 1000 बीड़ी श्रमिकों को 4,000/– रूपये प्रति मकान की दर से लाभान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान के रुप में दिसम्बर, 2014 तक कुल 67 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को एक लाख रूपये प्रति मृतक परिवार को आर्थिक लाभ दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 350 बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास के लक्ष्य के आलोक में अभी तक कुल 303 बंधुआ मजदूर को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी कामगार अथवा शिल्पकार की दुर्घटना में मृत्यु होने, घायल होने पर उन्हें या उनके आश्रितों को चिकितसा सहायता/अनुदान की व्यवस्था की गयी है। दो बच्चों तक को कक्षा नौ से बारह तक सरकारी पौलीटेक्निक तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घकालीन व्यवसाय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने की दशा में प्रति माह 100/–रू0 (एक सौ रूपये) की दर से एक मुश्त 1,200/–रू0 (एक हजार दो सौ रूपये) वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अब तक 590 कामगारों/शिल्पकारों के विधित आश्रितों के लिए कुल करीब 3 करोड़ रूपये का अनुदान विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के सभी जिलों में स्थापित नियोजनालयों/विश्वविद्यालयों स्तर से दिनांक 07.07.2014 से नियोजन–सह–व्यवसायिक मार्ग दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष में अब तक निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर कुल 53277 युवक/युवतियों का नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में नियोजन मेला के माध्यम से कुल एक लाख युवक/युवतियों को नियुक्ति हेतु चयन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना–अतंर्गत मात्र 30 रू0 के निबंधन/नवीकरण शुल्क पर एक परिवार के लिए स्वास्थ्य लाभ की सीमा 30 हजार रूपए प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है।

श्रम संसाधन विभाग को वर्ष 2015–16 में 514.19 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 373.52 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 140.67 करोड़ रूपये शामिल है।

गृह विभाग

राज्य योजनान्तर्गत थाना भवन, आवासीय भवन, एवं आउट पोस्ट के निर्माण हेतु भू–अर्जन मद में 1000 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में थाना भवन, आउट पोस्ट, आवासीय भवन तथा जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित निर्माणाधीन पुलिस मुख्यालय के भवन हेतु 30716 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु 3000 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

राज्य के विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय अग्निशामक भवनों के निर्माण हेतु 1500 लाख रू0 एवं राज्य के सभी 881 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी आधारित छोटे वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 220 अद्द मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहनों का क्रय एवं फैब्रिकेशन किया जाना है, जिसके लिए 2500 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

कारा विभाग अन्तर्गत राज्य के विभिन्न काराओं के भवन, मुलाकाती भवन, कैन्टीन आदि के निर्माण हेतु 3000 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

राज्य में कुल 8064 अद्द कब्रिस्तानों में 4640 अद्द कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1356 अद्द कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य प्रगति पर है। कब्रिस्तानों की घेराबन्दी मद में 5000 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के कम्पनी कमाण्डर कोटि के कुल 130 पदों एवं अधिनायक अनुदेशक कोटि के कुल 244 पदों पर सीधी नियुक्ति आगाामी वर्ष में प्रस्तावित है।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के 126 पदों एवं सिपाही कोटि के 426 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

राज्य में विधि–व्यवस्था कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति के दौरान मृत गृहरक्षकों के आश्रितों को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अब तक कुल 54.50 लाख रूपये मात्र के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया है।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नव नामांकित कुल 2699 गृहरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहटा में सम्पन्न कराई जा रही है।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सेवा के दौरान मृत दो सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति की गयी है।

विशेष आधारभूत संरचना योजनान्तर्गत वामपंथ उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए विशेष कार्य बल के उन्नयन हेतु बल के प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासन आदि के निर्माणार्थ वित्तीय वर्ष 2014–2015 के दौरान केन्द्रांश की राशि कुल करीब 15 करोड़ रूपये तथा राज्यांश की राशि करीब 5 करोड़ रूपये कुल करीब 20 करोड़ रूपये विमुक्त की जा चुकी है।

राज्य में नक्सल प्रभावित एवं सुरक्षाविहीन क्षेत्रों में 85 नये पुलिस थाना का सृजन किया गया है। अन्य जिलों में भी नये थाने/ओ0पी0 का सृजन करते हुए उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 2423 पद सृजित किये गये है।

''जे0 पी0 सेनानी सम्मान योजना'' में उल्लेखित निर्धारित अर्हत्ता पूरा करने वाले अब तक 2868 सेनानियों के पेंशन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कुल करीब 47 करोड़ रूपये स्वीकृत है तथा वर्ष 2015–16 में 1330 लाख रू0 प्रस्तावित है।

स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना अन्तर्गत लगभग 6400 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को चालू वित्तीय वर्ष 2014–2015 में सम्मान भत्ता का भुगतान हेतु 14 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

गृह विभाग को वर्ष 2015–16 में 6179.05 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 451.51 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 5727.54 करोड़ रूपये शामिल है।

विधि विभाग

नवगछिया, बाँका एवं गया में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। व्यवहार न्यायालय पटना में G+7 संयुक्त 30 कोर्ट भवन, बॉका में 4 कोर्ट भवन के उपर 6 कोर्ट भवन, दानापुर में 5 कोर्ट भवन के उपर 10 कोर्ट भवन, नवगछिया में 4 कोर्ट भवन के उपर 2 तल्ले का निर्माण एवं सिवान में 16 कोर्ट भवन को निर्माण कार्य निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

व्यवहार न्यायालय छपरा एवं बेतिया में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

व्यवहार न्यायालय बॉका, शिवहर, लखीसराय में 12 पी0ओ0 आवास G+3 तथा मंझौल में 6 पी0ओ0 आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

व्यवहार न्यायालय, शिवहर में विस्तारीकरण (प्रथम तल एवं द्वितीय तल) का कार्य पूर्ण हो चुके है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाँका तथा प्रधान न्यायाधीश, बाँका के आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

भागलपुर, मोतिहारी, जमुई, पूर्णिया, छपरा, सहरसा तथा दरभंगा न्यायमंडल में ए0डी0आर0 केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है।

कोर्ट भवन आरा, 16 कोर्ट भवन जमुई एवं 16 कोर्ट भवन मोतिहारी का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

दानापुर, पटनासिटी में 4 पी0ओ0 क्वार्टर के तीन इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 व्यवहार न्यायालय दानापुर में 5 कोर्ट भवन, मुंगेर में 9 कोर्ट भवन, मोतिहारी में 16 कोर्ट भवन, भागलपुर में 10 कोर्ट भवन, शेखपुरा में 12 कोर्ट भवन एवं किशनगंज में 10 कोर्ट भवन निर्माण पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

खगड़िया, नालंदा, बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बेतिया, सिवान और आरा न्यायमंडल में ए0डी0आर0 केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति में पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर न्यायामंडल में ए0डी0आर0 केन्द्र प्रस्तावित है।

बिहारशरीफ में 12 कोर्ट भवन, पूर्णिया में 10 कोर्ट भवन, हिलसा (नालंदा) में 12 कोर्ट भवन, मसौढ़ी में 10 कोर्ट भवन, लखीसराय में 10 कोर्ट भवन, मंझौल (बेगूसराय) में 10 कोर्ट भवन एवं दरभंगा में 8 कोर्ट भवन निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद, औरंगाबाद के आवासीय भवन तथा मधेपुरा में प्रधान न्यायाधीश के आवास, व्यवहार न्यायालय मुंगेर के प्रधान न्यायाधीश के आवास, परिवार न्यायालय भवन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवहर के आवासीय भवन के आवासीय भवन एवं शिवहर में कर्मचारी आवास का निर्माण एवं सिवान में 12 पी0ओ0 आवास निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

विधि विभाग को वर्ष 2015–16 में 656.50 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 7.00 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 649.50 करोड़ रूपये शामिल है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों को इस योजना के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया है। चयनित परिवारों को उक्त अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत परिवारों को 35 किलोग्राम एवं पूर्व

प्राप्तकर्त्ता परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न की आपूर्त्ति की जा रही है।

राशन कार्डों का डिजिटिलाईजेशन के साथ 96.37 प्रतिशत राशन कार्ड अभी तक वितरित किया गया है। वर्ष 2012 में जहॉ भंडारण क्षमता 1.35 मे0 टन थी इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक उसे बढ़ाकर 12 लाख मे0 टन भंडारण क्षमता हो जाएगी। राज्य खाद्य निगम के भंडारण क्षमता जो 2013–14 के प्रारंभ में 8.05 लाख मे0 टन था वह बढ़कर 10.70 लाख मे0 टन हो गया है।

वर्त्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक तथा राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के विक्रेता तक के कार्यो को कम्प्यूटराईज किया जा चुका है। ऑन लाइन गाडी की ट्रेकिंग (जी0पी0एस0), ऑन–लाईन एस0आई0ओ0 जनरेशन एवं डिस्पैच, ऑन लाईन चलान, डोर स्टेप डिलेवरी, वेईग मशीन, फ्लोर स्केल की व्यवस्था की जा रही है।

एन0आई0सी0 (www.pdsportel.nic.in) के राष्ट्रीय स्तर के सर्वर पर बिहार राज्य खाद्य निगम के वेबसाईट (www.sfc.bihar.gov.in) को जोड़ा जा चुका है। लाभूकों की किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए टॉल फ्री न0–1800–3456–194 चालू किया गया है।

अधिप्राप्तिः–राज्य के कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याणकारी योजनाओं की खाद्यान्न की मांग की प्रतिपूर्त्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य के किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने तथा अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रुपये प्रति क्वींटल बोनस की राशि भुगतान की जा रही है। इस मौसम में दिनांक 31.12.2014 तक कुल धान अधिप्राप्ति 7619.80 मेट्रिक टन हुई है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को वर्ष 2015–16 में 2134.78 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2046.97 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 87.81 करोड़ रूपये शामिल है।

पर्यटन विभाग

वर्ष 2014–15 में 7397.59 लाख रूपये की लागत से कुल 48 महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वयन किया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थनों का विकास, मंदिरों का विकास, खानका मुजिविया, फुलवारी शरीफ, मनेर, विश्व शांति स्तूप वैशाली, सिंहेश्वर स्थान पर्यटन केन्द्र, बोध गया योग एवं ध्यान केन्द्र का निर्माण आदि महत्वपूर्ण है। पर्यटन को बढ़ावा

देने के लिए 338 चयनित युवाओं को गाईड का प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र दिया गया है। राज्य में चार मेला तथा 23 महोत्सवों का सफल आयोजन विभाग द्वारा किया गया है।

वर्ष 2015–16 के भावी कार्यक्रम ।

राजगीर–नालन्दा, मंदार पर्वत–बाँका, रोहतासगढ़ किला–रोहतास एवं वाणावार पर्वत–जहानाबाद में रज्जू पथ की स्थापना , डोंगेश्वरी पर्वत–बोधगया, ब्रह्मयोणी पर्वत–गया, मुण्डेश्वरी पर्वत–कैमूर एवं प्रेतशीला पर्वत–गया पर रज्जू पथ की स्थापना ,गाँधी परिपथ के अन्तर्गत महात्मा गाँधी से जुड़े स्थलों संबंधी निर्माणाधीन परियोजना की स्वीकृति एवं उसका कार्यान्वयन, गुरू गोविन्द सिंह की जन्म स्थली हरमंदिर जी साहेब के 350वीं जयंती का व्यापक प्रचार–प्रसार, बौद्ध परिपथ में चिन्हित स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण उसकी स्वीकृति एवं उसका त्वरित कार्यान्वयन, राज्य के विभिन्न पथों पर विभिन्न भाषाओं में अतिरिक्त साईनेज की स्थापना, स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा घोड़ा कटोरा–राजगीर का विकास, मनेरशरीफ में विभिन्न पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण, आमी–थावे–महिषी में पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण, बोधगया पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, बाँके धाम, गया में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, बैजू धाम, गया में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं कोटेश्वर धाम, गया में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं का त्वरित एवं ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत नालन्दा सिमबायोटिक विकास संबंधी स्वीकृत योजना का त्वरित कार्यान्वयन कराना, चिन्हित 10 स्थलों यथा पटना जिला के फतुहा, कुरौला एवं कोल्हाचक/नालन्दा जिला के बिहारशरीफ एवं पावापुरी/भागलपुर जिला में सुल्तानगंज एवं नवगछिया/सुपौल में आसनपुर कुपहा तथा बाँका में पूनसिया एवं जहानाबाद जिला के मकदुमपुर में मार्गीय सुविधाओं के विकास संबंधी योजना की स्वीकृति एवं उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, चिन्हित 06 स्थलों यथा गया, बोधगया, राजगीर, नवगछिया, सुल्तानगंज एवं भागलपुर में पर्यटक सूचना केन्द्रों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण की योजना स्वीकृत करना एवं उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में नालन्दा में 49.10 एकड़, चेचर वैशाली में 201.73 एकड़, भागलपुर में 1.71 एकड़ तथा बासो कुण्ड में 1.00 एकड़, सुपौल में 7.47 एकड़, मुचलिंद सरोवर में 3.33 एकड़, सुजाता कुटीर में 2 एकड़ तथा मौजा लौरिया में 2.07 एकड़ अर्जनाधीन भूमि का प्रभार ग्रहण कर वहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया जाना एवं बिहार पर्यटन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना तथा विभिन्न मेला महोत्सवों का निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार आयोजन कराना भी प्रस्तावित है।

पर्यटन विभाग को वर्ष 2015–16 में 59.27 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 41.01 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 18.26 करोड़ रूपये शामिल है।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार

सांस्कृतिक संरचना के निर्माण एवं विकास के तहत पूर्णियाँ एवं बक्सर में कला भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। मिथिला चित्रकला के सम्यक विकास हेतु मिथिला चित्र कला संस्थान मधुबनी की स्थापना की गयी।

संग्रहालय के विकास के तहत पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का ''बिहार संग्रहालय'' निर्माण का लगभग 75 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। जुलाई 2015 में इसे जनता को प्रदर्शनार्थ समर्पित करने का लक्ष्य है। वैशाली में बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तुप के निर्माण हेतु 72.23 एकड़ भूमि का अर्जन 105 करोड़ रू0 की लागत पर की गयी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिताब दियारा, सारण में स्मृति भवन एवं पुस्ताकलय के निर्माण हेतु 5.35 एकड़ भूमि का अर्जन की स्वीकृति के साथ ही निर्माण कार्य के लिए 437 लाख रू0 की स्वीकृति दी गयी है।

कला एवं संस्कृति के विकास के तहत राज्य में सांस्कृतिक वातावरण निर्माण/अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान/सांस्कृतिक संस्थानों तथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम को अनुदान/ऋण के साथ ही कलाकारों को पुरस्कार एवं सहायता तथा प्रकाशन कार्य के लिए 1410 लाख रू0 के साथ ही सांस्कृतिक संरचना के निर्माण एवं विकास के लिए 2000 लाख रू0 का व्यय प्रस्तावित है।

पुरातत्व के विकास के तहत राज्य के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण के साथ ही अन्वेषण, उत्खनन, सर्वेक्षण पुरातात्विक स्थलों के सुरक्षा एवं अन्य विकास कार्य सहित बिहार विरासत विकास समिति को अनुदान हेतु 915 लाख रू0 प्रस्तावित है।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग को वर्ष 2015–16 में 128.94 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 67.49 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 61.45 करोड़ रूपये शामिल है।

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य में व्यापक प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के द्वारा नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इस संस्था को नयी योजना के रूप में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है इसमें अतिरिक्त 2811 पदों का पाँच वर्षों के लिए सृजित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस मद में कुल 5381.80 लाख रू0 का अनुदान स्वीकृत है।

लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में सुचारू रुप से कार्य संपादन हेतु 217 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है

राज्य सरकार के अन्तर्गत 4800 रू0 ग्रेड–पे से कम ग्रेड–पे वाले तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए एक अलग आयोग– ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग'' का गठन किया गया है तथा राजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के 88 पदों का सृजन किया गया है। इसके

सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2015–16 में बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली बनाने तथा आयोग के कार्यालय भवन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2015–16 में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियमावली का गठन किया जाएगा।

वर्ष 2015–16 में सचिवालय अनुदेश में आवश्यक सुधार कर नया Secretariat Manual of Office procedure का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

सामान्य प्रशासन विभाग को वर्ष 2015–16 में 490.71 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 34.52 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 456.19 करोड़ रूपये शामिल है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

शिकायतों के निराकरण हेतु सरकार के सभी विभागों/जिला मुख्यालय से लेकर अनुमण्डल/प्रखण्ड एवं थाना स्तर तक जन शिकायत कोषांग कार्यरत है। इस क्रम में सभी जिला मुख्यालयों/पुलिस मुख्यालयों एवं कतिपय विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों का Login ID बनाया गया है।

बिहार का गौरव श्रृंखला के अन्तर्गत बिहार आंदोलन 1974 का इतिहास (पाँच खण्डों में), सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित अभिलेखों का संकलन, प्रतिबंधित अभिलेख (दो खण्डों में), स्व० रामानंद तिवारी एवं शहीद जुब्बा सहनी का प्रकाशन प्रस्तावित है।

राज्य के गैर उर्दू भाषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उर्दू भाषा का ज्ञान देने के लिए राज्य मुख्यालय के साथ–साथ जिला स्तर पर उर्दू प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

पटना हवाई अड्डा के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नालंदा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 1397 एकड़ भूमि चिन्हित कर रखा गया है। इसके अतिरिक्त राजगीर के पिलखी मौजा में छोटे विमानों के परिचालन हेतु भी हवाई पट्टी के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहित की गई है तथा इसके निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बेगूसराय एवं मुंगेर हवाई अड्डों के रनवे मरम्मति/लाउन्ज निर्माण आदि हेतु रू० 1848.96 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि भवन निर्माण विभाग को हस्तगत करा दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को वर्ष 2015–16 में 177.79 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 37.97 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 139.82 करोड़ रूपये शामिल है।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकत महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः– 362.49 करोड़ रू0 की लागत से विधान सभा भवन एवं सचिवालय विस्तारीकरण का

कार्य, 116 करोड़ रू0 की लागत पर पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का कार्य, 490 करोड़ रू0 की लागत से पटना में अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र सह ज्ञान भवन, 93.14 करोड़ रू0 की लागत पर नियोजन भवन, 498.49 करोड़ रू0 की लागत पर बिहार संग्रहालय का निर्माण, 40 करोड़ रू0 की लागत पर पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान के नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

1.63 करोड़ रू0 की लागत पर रेणुग्राह सिमराहा में फणीश्वर नाथ 'रेणु' रेणु भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इसके अलावा 307.73 करोड़ रू0 की लागत पर मॉडल विधायक आवास योजना तथा 281.34 करोड़ रू0 की लागत पर पुलिस भवन के निर्माण कार्य के निर्माण की प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों में नये अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। दरभंगा एवं पूर्णियां में पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 329.81 लाख रू0 प्रति विद्यालय की लागत से कराया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पटना, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अररिया एवं पूर्णियां में पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 81.60 करोड़ रू0 की लागत से कंकड़बाग स्पोर्टस कम्पलेक्स, कंकड़बाग, पटना में अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग अंतर्गत 29.54 करोड़ रू0 की लागत से राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार एवं 34.16 करोड़ रू0 की लागत से राजकीय पौलिटेकनिक मधुबनी के भवन निर्माण कार्य पूर्ण है एवं इसके अतिरिक्त राजकीय पॉलिटेकनिक, लखीसराय एवं वैशाली तथा राजकीय महिला पॉलिटेकनिक मुजफ्फरपुर का कार्य क्रमशः 18.51 करोड़ रू0, 19.75 करोड़ रू0 तथा 26.69 करोड़ रू0 से निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

राजकीय पॉलिटेकनिक सुपौल, जमुई, भभुआ, मोतिहारी, सीतामढ़ी तथा शिवहर का निर्माण कार्य प्रगति में है। इसके अलावा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय एवं सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य प्रारम्भ करने की प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत 368 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत 11585.70 लाख रू0 की लागत पर 378 अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति की गयी है।

भवन निर्माण विभाग को वर्ष 2015–16 में 2999.61 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2364.83 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 634.78 करोड़ रूपये शामिल है।

वित्त विभाग

राज्य में 20 अनुमण्डलों में नये कोषागार स्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था जिसमें से वर्ष 2014–15 में अद्यतन 13 अनुमण्डलों में नये कोषागार कार्यालय स्थापित हो चुके हैं तथा शेष 7 अनुमण्डलों में वर्ष 2015–16 में कोषागार कार्यालय स्थापित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

सभी जिलों में कोषागार भवन का निर्माण अलग से कराये जाने की दिशा में वर्ष 2014–15 में अद्यतन 29 जिलों में नये कोषागार भवन का निर्माण कराया जा चुका है। शेष 9 जिलों में कोषागार भवन के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

वित्त विभाग को वर्ष 2015–16 में 279.59 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 35.00 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 244.59 करोड़ रूपये शामिल है।

खान एवं भूतत्व विभाग

विभाग द्वारा नई बालू नीति तैयार कर नई बालू नीति के प्रावधानों के तहत् राज्य के बालूघाटों की बंदोवस्ती पंचांग वर्ष 2015 से की जा रही है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2014 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पांच हेक्टेयर एवं उससे अधिक क्षेत्र पर पत्थर भूखण्ड की लोक नीलामी द्वारा बंदोवस्ती हेतु पत्थर के ब्लॉक बनाकर उसके नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।

खान एवं भूतत्व विभाग को वर्ष 2015–16 में 20.22 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शामिल है।

परिवहन विभाग

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2014 तक 4,20,875 वाहनों का निबंधन हो चुका है। निबंधित वाहनों की संख्या में वृद्धि का मुख्य श्रेय राज्य में हो रहे आर्थिक विकास, विधि व्यवस्था में सुधार एवं सड़कों की दशा में गुणात्मक सुधार है।

परिवहन विभाग के कर भुगतान की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए ई–पेमेंट की व्यवस्था आरंभ की गई है। वर्तमान में यह व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर राज्य के 11 जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियॉ, भागलपुर, नवादा, भोजपुर, नालंदा, छपरा, कटिहार एवं समस्तीपुर जिलों में लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष–2015–16 में अन्य जिलों में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। अन्य बैंकों के माध्यम से भी पूरे राज्यों में ई–पेमेंट की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्जीवित करने के उद्धेश्य से लोक निजी भागीदारी के आधार पर वर्तमान में कुल 457 बसें परिचालित हो रही हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दिसम्बर 2014 के अंत तक लगभग 125.6 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

नागरिकों की सुविधा हेतु तथा जिला परिवहन कार्यालयों के दक्षता बढ़ाने के क्रम में वित्तीय वर्ष–2014–15 में नालंदा, प0 चम्पारण तथा सुपौल जिलों में आधुनिक, सुसज्जित परिवहन भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में 200 लाख रूपया तथा मांग सं0–03 के अन्तर्गत 900 लाख रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु 19.90 करोड़ रूपये की लागत से औरंगाबाद जिला में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है जो वित्तीय वर्ष–2015–16 में पूर्ण हो जायेगा। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में 60.26 लाख रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

गाँधी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण लगाने हेतु वित्तीय वर्ष–2014–15 में पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत चार अन्तर्राज्यीय मार्गों यथा पटना, बिहटा, फतुहाँ तथा मसौढ़ी में कम्प्युटराइज्ड वे–ब्रीज (धर्मकांटा) क्रमशः सौ टन वजन क्षमता का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इनमें बिहटा, फतुहा तथा पटना (ट्रान्सपोर्ट नगर) में ''वे–ब्रीज'' का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। ''वे–ब्रिज'' के क्रियाशील होने से वाहनों के ओवरलोडिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा, जिससे सड़कों एवं पुलों का संरक्षण हो सकेगा। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में 300 लाख रू0 प्रस्तावित है।

परिवहन विभाग को वर्ष 2015–16 में 57.89 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 5.87 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 52.02 करोड़ रूपये शामिल है।

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधनः–

जाली कोर्ट–फी स्टाम्पों की बिक्री पर कारगर रोक के उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों एवं सभी अनुमंडल न्यायालयों में फ्रैंकिंग व्यवस्था द्वारा कोर्ट–फी स्टाम्प की विक्रय व्यवस्था लागू की गई है।

राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था लागू है। इसके और सुदृढ़ करने हेतु सॉफ्टवेयर को विकसित करते हुए स्कोर–3 सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है तथा इसे और सुरक्षित बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

भूमि का खेसरावार वर्गीकरण के शत–प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्पाद : –

शराब की अवैध एवं चोरी से बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिनांक–01.01.2015 से पेट बोतल में देशी शराब के विनिर्माण एवं वितरण की व्यवस्था को कार्यान्वित कराया जा रहा है।

राज्य के सभी चीनी मिलों में कुल छोआ उत्पादन का 5% इथनॉल के उत्पाद के निमित्त सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्व की चोरी रोकने/फर्जी चालन के माध्यम अनुज्ञा शुल्क को जमा करने की कार्रवाई को रोकने हेतु ई–चालान के माध्यम राशि जमा करने की प्रणाली लागू की जा रही है।

राज्य में शराब पीने के दुष्प्रभावों के रोकथाम के लिये व्यापक के प्रचार–प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है जिसके द्वारा जिलों में अनके कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाता है।

राज्य में शराब की बोतलों पर सेक्यूरिटी होलोग्राम लगाए जाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, मद्य निषेध के कार्यक्रमों को लागू करने तथा आंतरिक संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्पाद सिपाही के कुल 831 पद एवं 48 उत्पाद लिपिकों हेतु स्वीकृत बल पर नियुक्ति के लिये कार्रवाई की जा रही है।

मानक शराब की आपूर्ति के लिये निर्धारित गुणवत्ता की जाँच एवं विश्लेषण हेतु प्रमंडलीय स्तर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव है।

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को वर्ष 2015–16 में 146.22 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शामिल है।

वाणिज्यकर विभाग

कर अपवंचना को रोकने हेतु आवश्यक कार्यबल की आवश्यकता हेतु वाणिज्य–कर विभाग में 901 वाणिज्य–कर निरीक्षक का पद सृजित किया गया है। इनके पदस्थापन से राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।

राज्य के निबंधित व्यवसायियों के लिए दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 लागू किया गया है जिसके अधीन निबंधित व्यवसायियों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैध आश्रितों को रूपये दो लाख के अनुदान का प्रावधान है।

भामाशाह सम्मानयोजना के तहत् राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक कर दाता व्यवसायियों को सम्मानित किया जाना है, जिसके लिए वर्ष 2015–16 में करीब 75 लाख रुपये प्रस्तावित है।

वाणिज्य–कर विभाग अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2015–16 में 10 लाख रुपये प्रस्तावित है।

वाणिज्य–कर विभाग की संरचना को सुदृढ़ करने कि लिए उक्त राशि से वाणिज्य–कर विभाग के कार्यालयों हेतु भवन निर्माण कराने, पुराने भवनों का जिर्णोद्धार एवं कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु चहारदिवारों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 2015–16 में राज्य येाजना मद् में 603.77 लाख रुपये बजट उपबंध प्रस्तावित है। ई–कामर्स के माध्यम से राज्य में आयातित माल, जिसके आवक में लगातार वृद्धि हो रही है पर कर वसूलने के लिए बिहार प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है।

वाणिज्यकर विभाग को वर्ष 2015–16 में 131 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शमिल है।

निर्वाचन विभाग

आम जनता की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8 ए में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के वेबसाइट पर सिटिजन सर्विसेज में दी गई सुविधा के अतिरिक्त है। आम जनता के सुझाव एवं शिकायत हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की व्यवस्था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में दी गयी है। कोई भी व्यक्ति कॉल सेन्टर से टॉल–फ्री नं० 1950 पर डायल कर अपना सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है। नागरिकों को Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **Ethical Voting** के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। युवा वर्ग के निर्वाचकों को प्रेरित करने एवं चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रख्यात टी.वी. कलाकार सुश्री रतन राजपूत को युथ आईकॉन घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का भावी कार्यक्रम

1. बिहार विधान सभा का आम निर्वाचन, 2015
2. 24–स्थानीय निर्वाचन प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015
3. फोटो पहचान पत्र का निर्माण
4. अर्हता तिथि 01.01.2016 के आधार पर निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण
5. राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में EVM गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें से 12 गोदाम का निर्माण पूर्ण होने वाला है एवं शेष 26 गोदाम का निर्माण वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण होना संभावित है। 40 करोड़ रूपये की राशि 2014–15 में उपबंधित है तथा शेष 32.82 करोड़ रूपये की राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। **EVM** गोदाम के निर्माण पर होनेवाले व्यय का 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

निर्वाचन विभाग को वर्ष 2015–16 में 309.83 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शामिल है।

निगरानी विभाग

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ 'Zero Tolerance' नीति अपनाई गई है और इसे निगरानी विभाग द्वारा दृढ़तापूर्वक सतत् लागू किया जा रहा है। लोक सेवकों के द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में वर्ष 2014 तक कुल 55 मामले दर्ज हैं जिसमें लगभग 45.12/- करोड़ रूपये की सम्पत्ति निहित है। इन मामलों में से कुल चार लोक सेवकों की सम्पत्ति राजसात् की जा चुकी है।

तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा वर्ष 2014 में 36 मामलों को जाँचोपरान्त जांच प्रतिवेदन निगरानी विभाग को एवं 04 जाँच प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त, बिहार को समर्पित किया गया है एवं आय से अधिक सम्पत्ति के 20 मामलों में कुल 31 भवनों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों को समर्पित किया गया है।

निगरानी विभाग को वर्ष 2015–16 में 35.22 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शामिल है।

संसदीय कार्य विभाग

विधान मण्डलीय कार्यों का प्रशासी विभाग होने के कारण इस विभाग के स्वीकृत पद आवश्यक है। कुछ पद रिक्त है, जिसे भरने की कार्रवाई की जा रही है।

संसदीय कार्य विभाग को वर्ष 2015–16 में 1.71 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में शामिल है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

बिहार की छवि में गुणात्मक परिर्वतन हेतु, विशेष प्रचार अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 5800 लाख रू0 व्यय संभावित है।

बिहार राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा योजना का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना** लागू किया गया है। बीमाधारक संचार प्रतिनिधि को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पाँच लाख रूपया तक के चिकित्सा – खर्च की सुविधा प्रदान की जायेगी। अभी तक कुल 531 संचार प्रतिनिधियों को बीमित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को पेंशन योजना से अच्छादित करने के उद्देश्य से **पत्रकार पेंशन योजना** को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य के 36 जिलों में प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत 2 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 25.76 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों के बीच होर्डिंग/फ्लैक्स, फिल्म, लोकगीत, नृत्य, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से प्रचार–प्रसार – इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों/नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनता के बीच होर्डिंग/फ्लैक्स, फिल्म, लोक गीत, नृत्य प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक किये जाने का कार्य किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 700 लाख रूपये प्रस्तावित है।

बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के लिए चयनित पत्रकारों के भुगतान हेतु बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष में 8.00 लाख रू0 का उपबंध प्रस्तावित है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को वर्ष 2015–16 में 201.06 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 90.12 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 110.94 करोड़ रूपये शामिल है।

गन्ना उद्योग विभाग

गन्ना कृषकों को अधिक उपजशील एवं उच्च गुणवत्ता वाले ईख बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 135/– रू0 प्रति क्विंटल अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।

गन्ना बीज उत्पादक किसान/चीनी मिल को बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 55/– रू0 प्रति क्वींटल प्रोत्साहन राशि अनुमान्य किया गया है।

गन्ना एकवर्षीय फसल है, इसलिए भूमि सघनता को बढ़ाने एवं किसानों को अतिरिक्त आय सृजित करने के उद्देश्य से गन्ना फसल में अंतरवर्ती खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर वर्ष 2014–15 में 4691.19 लाख रू0 व्यय प्रस्तावित है।

ग्रीष्मकालीन माहों (अप्रैल से जून, 2014 तक) में डीजल पम्प सेट से गन्ना की सिचाई हेतु अनुदान, तीन सिंचाई हेतु अधिकतम 400 रू0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से कुल 1200 रू0 दिया जा रहा है। डीजल अनुदान पर कुल 10 करोड़ रू0 व्यय प्रस्तावित है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन से बीज प्रतिस्थापन दर में भी वृद्धि हुई है। साथ ही गन्ना फसल के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज 2006 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की तर्ज पर वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार एवं उसे और अधिक प्रभावकारी बनाते हुए गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2014 घोषित की गई है। प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुदान/प्रतिपूर्ति के मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रोत्साहन पैकेज, ईख मूल्य अनुदान और G.P.S. सर्वेक्षण पर अनुदान मद में 52 करोड़ 77 लाख 28 हजार रूपये खर्च करने की योजना हैं।

निगम की बंद ईकाईयों में लौरिया एवं सुगौली ईकाईयों में नई चीनी मिल कम्पलेक्स की स्थापना HPCL Biofuels के माध्यम से कराई गई है। IPL के माध्यम से मोतीपुर एवं तिरहुत इण्डस्ट्रीज के माध्यम से रैयाम में नई चीनी मिल की स्थापना हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित हुए है।

बिहटा ईकाई को Dry Port की स्थापना हेतु M/S Prestine Logistics को हस्तांतरित करने पर निर्णय लिया गया है।

अन्य उद्योगों की स्थापना के निमित सकरी एवं समस्तीपुर ईकाई को भी उसके सफल निवेशक को हस्तांतरण की कार्रवाई प्रगति पर है।

किसानों का समय पर गन्ने के आच्छादन, आपूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग, आपूर्ति एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने हेतु बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) को विकसित कर लागू किया गया हैं।

घटतौली की शिकायतों को दूर करने के लिए चीनी मिलों को उनके द्वारा संधारित सभी 3 टन के तौल सेतुओं को 5 टन में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही गन्ना कृषकों को Computerised weighment receipt देने के लिए चीनी मिलों को निर्देश दिये गये हैं। GPS द्वारा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु 5 करोड़ रू0 का उपबंध भी किया जा रहा है।

सत्र 2014–15 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ने पर, 16.75 रू०/क्विंटल की दर से चीनी मिलों को ईख मूल्य अनुदान उपलब्ध कराने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राज्य के गन्ना कृषकों को मिलों द्वारा भुगतान किये गये ईख मूल्य के अतिरिक्त 5 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य बोनस उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2015–16 में भी इस हेतु 40 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

चीनी मिलों को आर्थिक कठिनाइयों से निजात दिलवाने हेतु पेराई सत्र 2014–15 के लिए अधिरोपित क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के 1.80% से घटाकर 0.20% के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है तथा ईख कर की अदायगी से विमुक्ति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज 2014 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं को कार्यान्वित करवाया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 2015–16 में किया जाएगा जिसपर लगभग 60 करोड़ रू0 व्यय प्रस्तावित है।

गन्ना उद्योग विभाग को वर्ष 2015–16 में 121.63 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 101.84 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 19.80 करोड़ रूपये शामिल है।

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2015–16 में 11787.16 करोड़ रूपये भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें मुख्यतः सूद मद में 7220.77 करोड़ रूपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 3895.28 करोड़ रूपये, निक्षेप निधि में 491.86 करोड़ रूपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 133.51 करोड़ रूपये, लोक सेवा आयोग के लिए 18.10 करोड़ रूपये एवं राज्यपाल सचिवालय हेतु 11.01 करोड़ रूपये हैं।

अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 10006.92 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 881.99 करोड़ रूपये प्रावधानित किये गये हैं जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 95744.93 करोड़ रुपये है। वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 103189.06 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 7444.13 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक प्राप्त होगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ में 14743.31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूंजीगत प्राप्तियाँ में 17725.33 करोड़ रूपये प्राप्त होना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 2982.02 करोड़ रूपये अधिक होगा। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि भी सम्मिलित रहती है।

वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 100254.89 करोड़ रूपये आंकी गई थी। वर्ष 2015–16 में राजस्व व्यय 91208.11 करोड़ रूपये आंका गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक योजना का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई विभागों को अतिरिक्त उद्व्यय दिया गया है जो कि वर्ष के अन्त में निर्धारित वार्षिक योजना के आलोक में संशोधित कर दिया जायेगा और जो अतिरिक्त राशि प्रावधानित की गयी है उसे प्रत्यर्पण कर दी जायेगी।

वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 31932.00 करोड़ रुपये आंका गया है। वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 29477.21 करोड़ रूपये है।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2014–15 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 132186.89 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2015–16 में 120685.32 करोड़ रूपये का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान में जो राशि प्रदर्शित हो रही है उसमें वास्तविक व्यय में परिवर्त्तन होगा क्योंकि राज्य योजना का आकार 55099.00 करोड़ रूपये का है। पुनरीक्षित अनुमान में 70603.15 करोड़ रूपये अनुपूरक गणना में अतिरिक्त उद्व्यय की राशि सम्मिलित होने के कारण प्रदर्शित है। राज्य योजना व्यय 51565 करोड़ रूपये की अधिसीमा तक ही किया जाना है। आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद में वर्ष के अन्त में प्रत्यर्पण होते हैं जिसे घटाने से पुनरीक्षित अनुमान में उल्लेखित राशि से कम व्यय रहेगा।

वर्ष 2015–16 में राज्य की वार्षिक योजना 57137.62 करोड़ रूपये की है, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के मूल वार्षिक योजना 55099.00 करोड़ रूपये से 2038.62 करोड़ रूपये अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य अवगत हैं कि पिछले 7–8 वर्षों से लगातार राज्य सरकार ने अपने योजना आकार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हरेक वर्ष की है और देश में सर्वोच्च विकास दरों की उपलब्धि सामाजिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकारी निवेश में इसी उत्तरोत्तर वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगले वर्ष से 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय करों का हिस्सा मिलेगा। वित्त आयोग ने राज्यों की समेकित हिस्सेदारी में तो बढ़ोत्तरी कर दी है जो पिछले वित्त आयोग की 32 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है परन्तु राज्यों के बीच Horizontal allocation का जो मापदण्ड निर्धारित किया गया है उससे बिहार का हिस्सा 10.9 प्रतिशत से घटकर 9.67 प्रतिशत हो गया है। यह देश में हमारी आबादी के अनुपात से भी कम है। दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 का बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें कई कर्णांकित परियोजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि बंद या कम कर दी गयी है। अधिकांश योजनाओं में यह शर्त भी लगा दी गयी है कि राजस्व मद का व्यय राज्य द्वारा वहन किया जायेगा और पूंजीगत परिव्यय में ही केन्द्रांश की हिस्सेदारी में परिवर्त्तन के साथ जारी रखा जायेगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार अब अपने योजना आकार को पूर्व की भांति बढ़ाये रखने की वित्तीय स्थिति में नहीं है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के तहत बी.आर.जी.एफ. स्पेशल प्लान में जो राशि राज्य को प्राप्त हो रही थी उसे भी बंद कर दिया गया है। कुछ परियोजनाएँ केन्द्र सरकार से पूर्णतः प्रायोजित होगी। केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 288.11 करोड़ रूपये का व्यय होना प्रस्तावित है।

वित्त विधेयकः–

विभिन्न संबंधित कराधान अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन कर राज्य के कर संग्रहण में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उपर्युक्त उद्देश्य से इन अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव बिहार वित्त विधेयक 2015 के रूप में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है। बिहार वित्त विधेयक 2015 के निम्नांकित तीन भाग हैंः–

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन,

2. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993

3. मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र. सं.	विवरण	2014–15 का पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	राशि शब्दों में	2015–16 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1	कुल राजस्व प्राप्ति	95744.93	पन्चानवे सात सौ चौवालीस करोड़ तिरान्वे लाख रूपये	103189.06	एक लाख तीन हजार एक सौ नवासी करोड़ छः लाख रूपये
2	राज्य सरकार का कर एवं करेत्तर राजस्व	28759.64	अठ्ठाईस हजार सात सौ उन्सठ करोड़ चौंसठ लाख रूपये	34270.86	चौंतीस हजार दो सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख रूपये
3	केन्द्र से प्राप्त संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान	66985.30	छियासठ हजार नौ सौ पचासी करोड़ तीस लाख रूपये	68918.21	अड़सठ हजार नौ सौ अठ्ठारह करोड़ इक्कीस लाख रूपये
4	राजस्व व्यय	100254.89	एक लाख दो सौ चव्वन करोड़ नवासी लाख रूपये	91208.11	इकानब्बे हजार दो सौ आठ करोड़ ग्यारह लाख रूपये
5	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)	-4509.96	पैंतालीस सौ नौ करोड़ छियानब्बे लाख रूपये की घाटा	11980.95	ग्यारह हजार नौ सौ अस्सी करोड़ पैंचान्वे लाख रूपये की बचत
6	पूंजीगत व्यय (ऋण छोड़कर)	28325.66	अठाईस हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ छियासठ लाख रूपये	25581.93	पचीस हजार पाँच सौ ईक्कासी करोड़ तिरान्वे लाख रूपये
7	कुल व्यय (ऋण छोड़कर)	128580.55	एक लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ अस्सी करोड़ पचपन लाख रूपये	116790.04	एक लाख सोलह हजार सात सौ नब्बे करोड़ चार लाख रूपये
8	राजकोषीय बचत (+)/घाटा(–)	-32819.65	बत्तीस हजार आठ सौ उन्नीस करोड़ पैंसठ लाख रूपये घाटा	-13584.46	तेरह हजार पाँच सौ चौरासी करोड़ छियालीस लाख रूपये घाटा
9	ऋण अदायगी	3606.34	तीन हजार छह सौ छह करोड़ चौंतीस लाख रूपये	3895.28	तीन हजार आठ सौ पनचान्वे करोड़ अठ्ठाईस लाख रूपये
10	कुल राशि की आवश्यकता (8+9)	36425.99	छत्तीस हजार चार सौ पच्चीस करोड़ निनान्बे लाख रूपये	17479.74	सतरह हजार चार सौ उन्नासी करोड़ चौहत्तर लाख रूपये
11	ऋण उगाही	14727.34	चौदह हजार सात सौ सताईस करोड़ चौंतीस लाख रू.	17708.81	सतरह हजार सात सौ आठ करोड़ ईक्कासी लाख रूपये
12	लोक लेखा से प्राप्ति (निवल)	394.80	तीन सौ चौरान्वे करोड़ अस्सी लाख रूपये	-180.64	एक सौ अस्सी करोड़ चौंसठ लाख रूपये की कमी

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूंजीगत व्यय, लोक ऋण में भुगतान होने वाली राशि को छोड़कर 25581.93 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमान 28325.66 करोड़ रूपये का है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 17708.81 करोड़ रूपये का ऋण लिया जाना होगा, जिसमें से 3895.28 करोड़ रूपये की राशि पुराने ऋणों की अदायगी के लिए व्यय होगी और शेष राशि पूंजीगत व्यय के वहन करने के लिए उपयोग की जायेगी।

राजकोषीय घाटाः– राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक रहना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुनरीक्षित अनुमान 29059.75 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2014–15 का राज्य योजना का पुनरीक्षित आकार 51565 करोड़ रूपये का है। विभागों को अतिरिक्त उद्व्यय देते हुए कुल प्रावधान 70603.15 करोड़ रूपये का किया गया है जिसमें कटौती कर संशोधित योजना उद्व्यय की सूचना विभागों को दी जायेगी, जिससे राज्य योजना मद में होने वाली बचत एवं गैर योजना मद एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में वर्ष के अन्त में बजट में प्रावधानित राशि का कुछ भाग प्रत्यर्पण होगा, उसे शामिल करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्तर्गत रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में 455451 करोड़ रूपये माना गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 11980.95 करोड़ रूपये का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं असीम धैर्य का परिचय देते हुए सुना है इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2015–16 की वार्षिक वित्तीय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संबंधित अनुदान की मागें एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ।

जय हिन्द !